**Business Advisory Committee presented to the House on the 9th February, 1960".**

*The motion was adopted.*

---

**13.01 hrs.**

## DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION) SECOND AMENDMENT BILL

**Mr. Speaker:** The House will now take up further consideration of the motion moved by Shri Mehr Chand Khanna on the 9th February, 1960, namely:

"That the Bill further to amend the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, be taken into consideration".

The time allotted was 3 hours and time already taken up is 1 hour and 40 minutes and the time left is 1 hour and 20 minutes. Pandit Thakur Das Bhargava may kindly continue his speech. He has already taken 27 minutes.

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार): जनाब स्पीकर साहब, कल मैंने इस बिल के बारे में कुछ अर्ज किया था। जो चन्द बातें रह गई थीं, उन को मैं आप की इजाजत से अर्ज कर देना चाहता हूं। इस बिल के सैक्शन २ में कहा गया है कि जो रुपया को-आपरेटिव सोसायटी का है और जो किसी डिस्प्लेस्ड पर्सन से वसूल किया जाता है, उस को पब्लिक ड्यूज डिक्लेयर करके कम्पेन्सेशन में से ले लिया जाय। जब पहले डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज का एक्ट बना था, तो उस में पब्लिक ड्यूज की तारीफ़ की गई थी। वह तारीफ़ सैक्शन २बी में मौजूद है। इस के अलावा १, २ और ३ में भी इस का जिक्र है, लेकिन इस वक्त उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन में ऐसी रकमात का जिक्र किया गया है, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट को वाजिब हैं। इस सिलसिले में एक जेनरल क्लाज भी रखा गया था, जो कि इस तरह है—

"any other dues payable to the Central Government, State Government or the Custodian which may be declared by the Central Government by notification in the Official Gazette to be public dues recoverable from the displaced persons."

इसलिए अगर वह ऐसी ड्यू होती, और पब्लिक ड्यूज की तारीफ में आ सकती, तो महज एक नोटिफ़िकेशन जारी करना ही काफी था और इस बिल की कोई जरूरत नहीं थी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस में यह उसूल रखा गया था कि जो रकम गवर्नमेंट को ड्यू होगी, ख्वाह वह सैंट्रल गवर्नमेंट को ड्यू हो, ख्वाह स्टेट गवर्नमेंट को और ख्वाह कस्टोडियन को, उस को पब्लिक ड्यूज करार दिया जा सकता है, सिवाये १, २ और ३ के, और बाकी किसी रकम को पब्लिक ड्यूज करार नहीं दिया जा सकता है। उस एक्ट में इतनी वाजेह तारीफ़ की गई थी और एक जेनरल क्लाज भी रखी गई थी और यह प्रोवाइड किया गया था कि गवर्नमेंट महज एक नोटिफ़िकेशन से किसी रकम को पब्लिक ड्यूज बना दे, लेकिन ताहम उस में भी यह नहीं कहा गया था कि अगर किसी डिस्प्लेस्ड पर्सन की तरफ़ किसी को-आपरेटिव सोसायटी का कर्जा हो, तो उस को पब्लिक ड्यूज में शामिल कर लिया जाये। जहां तक कर्जे का ताल्लुक है, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, उस को पब्लिक ड्यू करार दिया गया। अगर को-आपरेटिव सोसायटीज का कर्जा भी इस काबिल समझा जाता, तो उस कानून में उस को शामिल कर लिया जाता, लेकिन उसूलन उस को शामिल नहीं किया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतने

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बरसों के बाद, दस बारह बरसों के बाद क्या जरूरत लाहक हुई कि इस उसूल को खैर-बाद कह कर यह करार दिया जाय कि एक प्राईवेट बाडी के कर्ज़े को—को-आपरेटिव सोसायटी गवर्नमेंट के मुकाबले में एक प्राईवेट बाडी है, वह स्टेट बाडी नहीं है—पब्लिक ड्यूज़ करार दिया जाये और उसको कम्पेन्सेशन में से वसूल किया जाये । अगर उसूलन देखा जाये, तो जिन लोगों को पहले कम्पेन्सेशन दिया जा चुका है, उन से यह कर्ज़े वसूल नहीं किये गये । यह नई इन्नोवेशन उन लोगों के लिए की गई है, जिन को अभी कम्पेन्सेशन दिया जाना है । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इतना अरसा हो गया, लेकिन फिर भी वैरिफ़िकेशन हो चुकने के बावजूद उन लोगों को कम्पेन्सेशन अदा नहीं किया गया । इन्साफ़न कम्पेन्सेशन तो एक ऐसी चीज़ थी, जो कि गवर्नमेंट को फौरन देनी चाहिए थी । जिस दिन वेरिफ़िकेशन हो गया, उस दिन से कम से कम वह वाजिब-उल-अदा हो गया । कल मेरे लायक दोस्त ने बताया कि वैरिफ़िकेशन किये हुए पांच बरस हो गये, लेकिन फिर भी कम्पेन्सेशन अदा नहीं किया गया । अगर कर्ज़े के उसूलों को देखा जाये, तो कम्पेन्सेशन पर सूद ही इतना बन जाता है कि वह कम्पेन्सेशन के बराबर हो जाता है । लेकिन डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ को क्या दिया गया ? बारह बरस हो गये हैं, लेकिन फिर भी कम्पेन्सेशन अदा नहीं किया गया है । इस अरसे में तो रकम दुगनी ही जाती है, लेकिन उन को वही रकम दी जा रही है और अब सरकार प्राईवेट कर्ज़ों को भी उस में से काट लेना चाहती है । अगर किसी को-आपरेटिव सोसायटी को गवर्नमेंट ने कर्ज़ा दिया, तो गवर्नमेंट ही उस से वसूल करे । जो रुपया को-आपरेटिव सोसायटी के पास चला जाये, वह गवर्नमेंट का रुपया नहीं रह जाता है । वैसे सारा रुपया गवर्नमेंट के मिंट में बनता है । नोट गवर्नमेंट छापती है । अगर गवर्नमेंट ने किसी को-आपरेटिव सोसायटी को कर्ज़ा दे दिया और उस ने वह रुपया आगे किसी को दे दिया, तो वह को-आपरेटिव सोसायटी का रुपया हो गया, वह गवर्नमेंट का नहीं रह गया । अगर उसूलों के हिसाब से देखा जाये, तो कोई वजह नहीं है कि वह कर्ज़ा कम्पेन्सेशन पर चार्ज कर दिया जाये और डायरेक्टली उस में से काट लिया जाये । आम तौर पर हम देखते हैं कि कर्ज़ा वसूल करने वालों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है । रूल आफ़ ला कहता है कि एक कर्ज़ख्वाह और दूसरे कर्ज़ख्वाह में कोई तमीज न रखी जाये । आज प्राईवेट कर्ज़ख्वाह की मुसीबतों का कोई ठिकाना नहीं है । अगर वह डिग्री वसूल कर ले, तो कितनी मुसीबतों से डिग्री वसूल होती है । इस लिए यह बिल्कुल नामुनासिब है कि अगर किसी प्राईवेट बाडी का कोई कर्ज़ा किसी डिस्प्लेस्ड पर्सन की तरफ़ है और उस शख्स का कम्पेन्सेशन वाजिब है, तो वह कर्ज़ा उस में से काट लिया जाये । कम्पेन्सेशन उस का हक है, वह उस कर्ज़े को किसी तरह भी दे, या न दे । उस कर्ज़े को नार्मल तरीके से वसूल किया जाना चाहिए । क्या उस रकम को उस के कम्पेन्सेशन में से, जो कि एक पैल्ट्री रकम होती है और जो उस को बारह बरस के बाद मिलेगा, काट कर उस का सबस्टैंशियल पोर्शन उस से ले लिया जाये । क्या आप नहीं जानते हैं कि तकावी के वक्त कितना रुपया कल्टीवेटर को मिलता है ? क्या सारा रुपया डिस्प्लेस्ड पर्सन को मिल जाता है ? मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह मामला दर-अस्ल इतना सीधा और सिम्पल नहीं है, जितना कि वह नज़र आता है । आर० एफ० ए० का रुपया जिन को कर्ज़ दिया गया, उन को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा । जहां तक उस रुपये का ताल्लुक है, वह तो एक रीज़नेबल बात है कि उस को काट लिया जाये । वह तो समझ में आ सकता है । उसकी ग्राउण्ड्ज़ बड़ी क्लीयर हैं । लेकिन इस मामले में वे ग्राउण्ड्ज़ मौजूद नहीं हैं । इसका मोटिव सही है, लेकिन सवाल यह है कि जिसका

रुपया है, एक दफा वह रुपया उसके पास पहुंचने तो दिया जाये, उसको मालूम होने दिया जाये कि उसको कुछ कम्पेन्सेशन मिला है। सरकार ने कितने परसेंट कम्पेन्सेशन दिया है और कितने बरसों के बाद दिया है। जो कुछ उसके पास रह गया है, कम से कम उसको उसके हाथों में जाने तो दिया जाना चाहिए। अगर वह इमानदार है, तो वह जरूर रुपया अदा कर देगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास और रेमेडीज हैं। को-आपरेटिव सोसायटी कोर्ट आफ ला में जाकर कुर्की करा सकती है। यह कैसा कायदा है कि उसके कर्जे को पब्लिक ड्यूज करार दिया जाये ? को-आपरेटिव सोसायटी ब-मुकाबले गवर्नमेंट एक प्राईवेट बाडी है उस के कर्जे को पब्लिक ड्यूज करार देना वाजिब नहीं है अगर कोई प्राईवेट पर्सन दरख्वास्त करे कि किसी डिस्प्लेस्ड पर्सन पर मेरा कर्ज है, तो सरकार उसको हरगिज नहीं काटेगी। सरकार ने यह कानून बनाया है कि कोई शख्स कम्पेन्सेशन पर चार्ज या कुर्की नहीं करा सकेगा। तो सरकार को-आपरेटिव सोसायटी को यह हक क्यों देती है ? मेरी दरख्वास्त यह है कि इस को बहुत सोच-विचार कर किया जाये, हालांकि उपर से यह बहुत सिम्पल, स्वीटेबल और रीजनेबल मालूम होता है। रूल अफ ला में सरकार और गैर सरकार में आपने फर्क कर दिया, लेकिन किसी प्राइवेट आदमी में और प्राइवेट बाडी में, को-आपरेटिव सोसायटी एक प्राइवेट बाडी है, फर्क करना मुनासिब नहीं है। ये बातें छोटी हैं, लेकिन फण्डामेंटल हैं। दर-असल वे बड़े फण्डामेंटल राइट्स पर बेस्ड हैं और हमें उन को खैरबाद नहीं कहना चाहिये।

आनरेबल मिनिस्टर साहब ने बिल के आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्ज में एक बहुत साफ बात लिखी है, जिससे हम को हमदर्दी हो सकती है, लेकिन मैंने यह देखा है कि जो कुछ उन्होंने आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्ज में लिखा है, वह बाडी आफ दि बिल में मौजूद नहीं है। उन्होंने यह फरमाया है—

"There have been cases where displaced persons have obtained allotment of excess land by fradulent means, misrepresentation or otherwise. It is but proper that these displaced persons should pay rent at an enhanced rate for such excess land, but there is no provision in the existing Act for the recovery of such rent. There is also no specific provision for the recovery of damages from unauthorised occupants of evacuee property acquired under the Act. It is proposed to amend section 19 for these purposes."

जब १९५४ में यह एक्ट बना, तो बड़ी काशन के साथ इस को ४५ मेम्बरों की एक कमेटी ने देखा और फिर यह हाउस में आया। उस वक्त यह प्राविजन नहीं रखा गया। तो फिर बारह बरस के बाद आज इस की जरूरत क्यों पड़ी। उस वक्त ऐसा क्यों नहीं किया गया ? इसकी वजह साफ है। फ़िलवाके हमको कोइ ऐसा कैस नजर नहीं आया कि जिसमें कोई आदमी अन-अथाराइज्ड आकुपेशन में बारह बरस तक रहेगा। हर शख्स का यह फर्ज था कि वह ऐसी आकुपेशन को सरेण्डर कर देता। अन-अथाराइज्ड पोजेशन के लिए कस्टोडियन, डिप्टी कस्टोडियन वगैरह इतने बड़े बड़े अफसर बैठे थे और उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह फौरन खाली करायें। उस वक्त हमारे दिमाग में यह बात नहीं आ सकती थी कि हम किसी ऐसी कांटींजेंसी के लिए भी प्रोवाइड करें, जो उस वक्त तक पैदा नहीं हुई थी। लेकिन अफसरों की गफलत की वजह से, ठीक काम न करने की वजह से कई ऐसे केसिज आनरेबल मिनिस्टर साहब के नोटिस में आए कि जहां वह चाहते हैं कि रुपया वसूल किया जाये। जहां तक इस रुपए के वसूल करने का सवाल है, रेन्ट ड्यू और अन-अथाराइज्ड आकुपेशन के डैमेजिज का सवाल है, मैं यह नहीं अर्ज करना चाहता हूं कि उन को वसूल न किया जाये। ख्वाह उस वक्त यह प्राविजन नहीं

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बना था, लेकिन अगर कोई चीज वाजिब और मुनासिब है, तो वह रुपया उनसे लिया जाना चाहिए । अगर सरकार का हक है, तो वह वसूल करे, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर अफसरान ठीक तौर पर काम करते, तो कभी यह दिमाग में नहीं आ सकता था कि ऐसी नौबत आयगी । आजकल ऐसे हालात नहीं हैं कि हम सारे रूल आफ दि लैण्ड को तबदील करके इसके लिए ऐसी पावर्ज दें, जो आर्डिनरी लोकल-पर्सन्ज के खिलाफ नहीं दी जा सकती हैं । अगर कोई लोकल पर्सन किसी की जमीन पर कब्जा कर ले और दो बरस तक उस पर काबिज रहे, तो वह शख्स कोर्ट आफ लॉ में दावा करेगा, अपने क्लेम को साबित करेगा और उस में इक्विटी देखी जायगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ । आप यहां पर कहते हैं कि ऐसी चीजों पर जिन पर कि उसने फाडुलेंटली या मिस रिप्रेजेंटेशन से कब्जा किया है तो उससे किराया वसूल किया जा सकेगा तो हम आपके साथ फौरन एग्री कर जाते । लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कही गई है । आप कहते हैं कि इन तीन चीजों को एप्लाई नहीं करेंगे बाकी सब को एप्लाई करेंगे । इन तीन चीजों को थिन एण्ड आफ दी वेज के तौर पर रखा गया है ताकि हम फौरन एग्री कर जाएं । मैं यह नहीं कहता कि जो वाजिब है उसको वसूल न किया जाए । वह जरूर वसूल होना चाहिए । लेकिन आप कहते हैं कि एनहैंस्ड रेट इन चीजों का लिया जाना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आज कोई शख्स किसी की जायदाद पर काबिज हो जाए—

**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : पंजाब में क्या प्रोसीजर है ?

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं । मैं तो जनरल ला आफ दी लैंड की बात कर रहा हूं जो कि सारे हिन्दुस्तान पर एप्लीकेबल है । पंजाब का भी मैं जिक्र कर देता हूं । वहां के टेनेंसी एक्ट की दफा १४ के तहत अगर कोई आदमी किसी की जमीन को बो ले जिसका उसने लीज नहीं लिया है तो उसको क्या चीज डैमेजिज के तौर पर देनी होगी, इट विल बी रिगार्डिड डेट रेंट वाज ड्यू,नथिंग मोर । किसी की जायदाद पर अगर कोई शख्स कब्जा कर लेता है तो वह कोर्ट में जाएगा तो उसको क्या चीज मिलेगी ? उसको वही मिलेगी जोकि रेंट के तौर पर होती है, लीज मनी के तौर पर होती है । लेकिन आप एनहैंस्ड चाहते हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आपके ही अफसर गुस्से के तौर पर ज्यादा लेंगे । जो फल बनायेंगे, वे वही बनायेंगे । यहां पर कहा गया है कि सैंट्रल गवर्नमेंट विल मेक दी रूल्स आफ एसेसमेंट । अगर कोई अनआथोराइज्ड पोजैशन में हैं, अगर किसी ने शैतानी से, मिस-रिप्रेजेंटेशन से कोई चीज हासिल की है तो चाहे हर एक का दिल उसके खिलाफ काम करने को कहता है लेकिन जनरल ला आफ दी लैंड इसकी इजाजत नहीं देता है । आप डैमिजिज के सैक्शन को देखें, सैक्शन ७३ आफ दी कांट्रेक्ट एक्ट को देखें, रेबेन्यू ला को देखें, कहीं भी इससे ज्यादा नहीं मिलता है जितना कि आम तौर पर उसके कब्जा करने का ड्यू हो । लेकिन जो वाजिब है उसकी मुखालिफत कोई शख्स नहीं करेगा । उसको आप वसूल करें लेकिन उसी तरह से करें जिस तरह से एक मामूली आदमी करता है या जिस तरह से एक मामूली आदमी से वसूल किया जाता है । जो मिसरिप्रिजेंटेशन से या फाडुलेंट मींस से हासिल किया गया है उस में से आधा तो आपके अफसरों की मेहरबानी से हुआ है । आप चाहते हैं कि आप को अख्त्यार होना चाहिए कि आप ज्यादा

वसूल कर सकें लेकिन मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि जो अख्तयारात हमने आपको डिसप्लेस्ड परसंस के हक में दिए थे और दूसरे लोकल लोगों के खिलाफ दिए थे, जो सिविल कोर्ट से अख्तयार छीन कर आपको दिए गए थे, जो आपको एक्सट्रा-आर्डनरी पावर्स दी गई थीं और जिन का आपने डिसप्लेस्ड परसंस के हक में इस्तेमाल किया, उन्हीं को अब आप उनके खिलाफ इस्तेमाल न करें । मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी वाजिब है वह आप सिविल कोर्ट के जरिये दें, जैसे आर्डिनरी आदमी लेता है, वैसे ही आप लें और एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर वसूल न करें ।

एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू क्या चीज है । यह बहुत सख्त है । इसके तहत लम्बरदार को बुला कर कह दिया जाता है कि इसको सात दिन तक हवालात में रख दो । जब वह हवालात से बाहर आता है जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वे बड़े ड्रास्टिक हैं, बड़े सख्त हैं । मैं नहीं चाहता कि उन तरीकों को अब बरता जाए । आपने इस चीज को पहले एक्ट में नहीं रखा और अब इसमें क्यों रख रहे हैं । मैं यह भी चाहता हूं कि ला आफ लिमिटेशन भी एप्लाई हो और सब चीजें आप सिविल कोर्ट में ले जाएं । मैं समझता हूं कि जो मींस हैं, जो एंड्स हैं वे दोनों ही दुरुस्त होने चाहियें । यही चीज महात्मा जी ने हम को सिखाई है । आपके ऐंड्स तो दुरुस्त हैं लेकिन मींस ठीक नहीं हैं । आप सिविल कोर्ट को खैरबाद न कहें, आप ला आफ लिमिटेशन को खैरबाद न कहें, आप बतौर एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू इस चीज को वसूल न करें । कोई वजह नहीं है कि आप ड्रास्टिक पावर्स अपने हाथ में लें और इनका डिस्प्लेस्ड परसंस के खिलाफ इस्तेमाल करें । आर्डिनरी ला आफ दी लैंड को खत्म नहीं किया जाना चाहिए । आप अपने हाथ को जरा खींच कर चलें ।

जो मैंने कल कहा था उसको थोड़ा सा मैं दोहरा देना चाहता हूं । आपने तीन डिप्टी सैटलमेंट आफिसर्स मुकर्रर किए बगैर इस हाउस की इजाजत लिए और उन्होंने जो कुछ किया उसको आप चाहते हैं कि कानूनी करार दे दें । अगर सन् १९४७ या १९४८ में कोई शख्स छः महीने के लिए किसी चीज पर काबिज रहा तो आज आनरेबल मिनिस्टर साहब १९६० में चाहते हैं कि उसकी खाल खींच ली जाए । जो कब्जा १९४८ में लिया छः महीने के वास्ते

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** डिप्टी सैटलमेंट कमिश्नर तो वापिस चले गये ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** जिन को कत्म उठाने का भी अख्त्यार नहीं था, जिनको मुकर्रर करने का आपको अख्त्यार नहीं था, उन्होंने जो कार्रवाई की उसको आप चाहते हैं कि कंडोन कर दिया जाए । हम इसके लिए भी तैयार हैं । लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त छः महीने के वास्ते यह किया है और उस वक्त न आपके अफसरों को पता था और न ही उसको पता था कि किस की जमीन है और वे काबिज रह गए और आप आज बारह वर्ष के बाद यह कहते हैं कि डेमेजेज का दावा किया जाए यह ठीक नहीं है । इस बिल के आब्जैक्ट्स में कुछ है और बाडी में कुछ और ही है । अगर फ्राडुलेंट की ही बात होती तो हम एग्री कर जाते । फ्राडुलेंट का सवाल नहीं है एसी सूरत में १२ वर्ष के बाद यह कहना कि उन उसूलों के मुताबिक जो यह डिपार्टमेंट तय करेगा—आर्डिनरी उसूलों के मुताबिक नहीं आर्डिनरी ला आफ दी लैंड से नहीं—ठीक नहीं है । यह कांस्टीट्यूशन के भी खिलाफ है यह डिक्रिमिनेटरी है । एक वक्त था जब हमने एक इस तरह के कानून को मंजूर किया था । उस वक्त पोजिशन कुछ और थी । लोग बहुत बड़ी तादाद में यहां आ गये थे उनको आराम हम देना चाहते थे । वह आराम तो उनका गया और उसके बजाय हम आज सख्ती करना चाहते हैं, यह चीज ठीक नहीं है । यह चीज इस मिनिस्ट्री को जो कि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उनके वास्ते बनाई गई थी शोभा नहीं देती है । हमें सस्ती से काम नहीं लेना चाहिये ।

बाकी जो चीजें इस में दर्ज हैं उनकी बाबत मैं कल कह चुका हूं और उनको मैं दौहराना नहीं चाहता हूं ।

**श्री अंचित राम** (पटियाला) : अध्यक्ष जी, इस बिल पर मेरे बहुत से भाइयों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है और मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना है । मैं देखता हूं कि आज १३वें वर्ष में इस बिल को यहां लाया जा रहा है । एक तरफ तो गवर्नमेंट और मिनिस्टर साहब इस महकमे को खत्म करने की तैयारी में मसरूफ हैं और दूसरी तरफ इस बिल को लाया जा रहा है । इस वास्ते मैं समझता हूं कि यह चीज़ इस बात को जाहिर करती है कि गवर्नमेंट इस बिल को लाना बड़ा जरूरी ख्याल करती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब दुकान ही उठाई जा रही है तो फिर बिल लाने का मतलब क्या है .

**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : दुकान उठाने में यह मदद देगा ।

**एक माननीय सदस्य** : दुकान लम्बी की जा रही है ।

**श्री अंचित राम** : दोनों भाइयों की बात को मैं तसलीम करता हूं । एक कहते हैं कि दुकान उठाने में यह मदद देग दूसरे कहते हैं कि दुकान को लम्बा किया जा रहा है । जो हो इस बिल का लाया जाना यह जाहिर करता है कि अब तक जो ताकत गवर्नमेंट को दी गई थी, वह काफी नहीं थी । इस बिल में तीन चार काम लिखे गये हैं जिन के बारे में कहा गया है कि ताकत मिलनी चाहिए । मुझे यह बहुत ही अजीब बात मालूम देती है । असल में इन को बहुत ताकत हासिल है पहले ही से । असल में तो जिस काम के लिए इन को ताकत हासिल नहीं भी होती है, उस के लिए भी ये ताकत को इस्तेमाल कर लेते हैं और इस वास्ते और ज्यादा ताकत लेने का सवाल पैदा नहीं होता है । मैं समझता हूं कि लाखों और करोड़ों रिफ्यूजी जो बसे हैं वह उस ताकत से नहीं बसे हैं जो उन को दी गई है बल्कि उस ताकत से बसे हैं जो उन के पास है । इस को आप सीनाजोरी कहें, डिक्टेटरशिप कहें या कुछ भी कहें लेकिन मैं समझता हूं कि एक मुनासिब आदमी को इस काम को करने के लिए चुना गया है ।

मैं समझता हूं कि जिस जिस काम के लिए ताकत मांगी गई है और अगर वे मुनासिब काम हैं, मुनासिब बातें हैं, तो हमें उन का साथ देना चाहिये । कितने ही बरस पहले एक बिल आया था जोकि एक एक्ट बना था और उस के तहत उन को ताकत मिली थी, उन को कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे । जो गलतियां होती हैं उन का असर उन पर भी और हम पर भी पड़ता है । इस वास्ते मैं समझता हूं कि सोच समझ कर ताकत दी जानी चाहिये, मुनासिब ताकत दी जानी चाहिये ।

इस बिल में चार पांच बातें कही गई हैं । स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहा गया है कि पांच बातों के लिए इन को ताकत चाहिये । पहली बात यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के मैम्बर्स को जो कर्जे दिये गये हैं, उन को वसूल करने की इन को ताकत चाहिये ।

**13·22 hrs.**

हमारी मिनिस्ट्री को ज्यादा ताकत चाहिये ।

**एक माननीय सदस्य** : ताकत तो है ।

**श्री अंचित राम** : ताकत होनी चाहिये ड्यूज़ को वसूल करने की । वह चाहते हैं कि ड्यूज़ को क्लेम्स में से ऐडजस्ट कर सकें, कम्पेन्सेशन में से काट सकें ।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं अच्छा काम कर रहा हूं लेकिन गाली मिल रही है ।

**श्री अचित राम** : अगर अच्छा काम है तो मैं आप के साथ हूं, मुझे कोई उज्र नहीं है । लेकिन जैसा ठाकुरदास जी ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूं कि कुछ बातों को ले कर दूसरी बातें न की जायें । जैसा आप ने कहा, बाज लोगों ने गलत बयान दे कर ज्यादा अलाटमेंट करा लिया । यह बात ठीक है । लेकिन मुझे थोड़ी सी मुश्किल मालूम होती है । यह बात साफ हो गई कि कुछ आदमियों ने धोखा दे कर, मिसरिप्रेजन्ट करके, ज्यादा अलाटमेंट करा लिया, ज्यादा जायदाद ले ली । लेकिन अगर आप धोखाधड़ी करने वालों से वसूल करने की ताकत किसी को देंगे तो मुझे खतरा यह है कि जो लोग धोखाधड़ी में माहिर हैं वह कहीं आप के आदमियों को भी न उलझा लें और उन को भी धोखाधड़ी की सलाह न दें । यह बात खुली हुई है, आप कहीं चले जाइये, कि लोगों को मिलाया जा सकता है । मैं क्लेम्म के बारे में कहता हूं । अगर मैं अपना क्लेम रखना चाहता हूं तो टर्न बाई टर्न उसका लेने का नम्बर आयेगा, लेकिन अगर मैं किसी को २०० रु० दे दूं तो वह फौरन ले लिया जायेगा । आप पंजाब में कहीं पर चले जाइये, क्लेम का मामूली तरीके से लेने का तरीका दूसरा है । क्लेम का जल्दी वसूल करने का तरीका यह है कि पैसा दीजिये आप को जल्दी मिल जायेगा । इस वास्ते धोखाधड़ी में दोनों तरफ के लोग माहिर हैं । वसूल करने वाले भी माहिर हैं मिसरिप्रेजेन्टेशन में और जो दूसरे लोग हैं वे भी माहिर हैं । इस वास्ते जो ताकत किसी के खिलाफ दी जाय वह किन हाथों में दी जाय यह बड़े सोचने का सवाल है, गौर करने की बात है कि किस को किस किस्म की ताकत दी जाय ।

इस के अलावा और भी मसायल हैं । यहां पर एक बात तो यह कही गई कि जो आदमी अनआथराइज्ड अकुपैन्ट्स हैं उन से डैमेजेज वसूल करने की इस में ताकत नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह कुसूर किस का है ? १३ वर्ष हो गये । १३ वर्ष तक एक आदमी अनआथराइज्ड आकुपैन्ट रहा, आज आप कहते हैं कि आप के पास ताकत नहीं है वसूल करने की इयूज़ को ।

**एक माननीय सदस्य** : १२ साल बाद आदमी खुद मालिक हो जाता है ।

**श्री अचित राम** : जो कुछ मैं कहना चाहता था वह माननीय सदस्य ने कह दिया । आखिर क्या बात है कि १२ बरस तक आप ने कानून बना कर ताकत नहीं ली । यह किस का कुसूर है ? इतने आदमी आप के अमले के अन्दर हैं, उन पर करोड़ों रुपये खर्च हो गये । आप इतने आदमियों को रखते हैं, पूल बनाते हैं, फिर कहते हैं कि ताकत नहीं मिलती । गल्ती करें और निकासी भरे दूसरा आदमी । मैं नहीं समझता कि १२ वर्ष बाद आज इस कानून को रिट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट दिया जायेगा या नहीं । अगर इस को रिट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट दिया गया तो मैं नहीं जानता कि उसका क्या असर होगा १३ वर्ष के बाद । मैं कांग्रेस पार्टी का मेम्बर हूं । अगर मुझे ४० रु० उस को देना होता है, १२ वर्ष के लिये मुझे ६००० रु० देना होगा तो मैं कहूंगा कि खुदा हाफिज । इस लिये यहां रिट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट देने का सवाल नहीं है । अगर आप समझते हैं कि आप आगे को वसूल कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि वह हो सकता है । लेकिन जिस जमीन पर किसी का अनाथराइज्ड कब्जा नहीं हुआ है, बिना उस जमीन के इस्तेमाल किये हुए अगर आप उस से रुपया वसूल करते हैं तो कैसे काम चल सकता है ? मैं जानता हूं कि लोगों ने हजारों रुपये अपना काम बढ़ाने के लिये लगाये । अगर उस के लिये गवर्नमेंट से कुछ लिया गया है तो जरूर वसूल किया जाये, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उस में से कुछ भी खर्च नहीं दिया तो आप क्यों कहते

[श्री अचित राम]

हैं कि आप जमीन से वसूल करेंगे । यह बड़ी गलत बात होगी अगर आप अपनी ताकत के जोर में कह दें कि १३ वर्ष के बाद जो उस जमीन पर है उसे वहां से निकाल दिया जाये मैं आप को वह ताकत देने के लिये हर्गिज तैयार नहीं । हो सकता है कि आप ने कोई कर्जा दिया हो या किसी और तरह से रुपया दिया हो, तो उस के लिये आप कोई ट्रीब्यूनल बिठलाइये जो कि देखे कि हक की या मुनासिब चीज क्या है । उस ने जितना इनवेस्ट किया है उस में से कितना उस से लिया जाये और किस तरीके से लिया जाये । ऐसी सूरत में अगर आप फैसला कर दें कि उन लोगों की जायदाद को नीलाम कर दिय जाये, तो इस तरह से ड्यूज के वसूल करने की ताकत लेना मुनासिब नहीं है ।

**13.27 hours.**

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अभी मेरे पास पठानकोट के आदमी आये । पठानकोट में लकड़मंडी है । वहां पर लोगों ने जमीनों पर मकान बनाये और हजारों रुपये खर्च कर दिये । अब उन्हें नोटिस मिली है कि उन की जमीनें नीलाम होंगी । एक सेटलमेंट आफिसर ने कहा कि फैसला नहीं हो सका । हमारे परिचित एक साहब हैं जो कि हिन्दुस्तान में आ गये, अभी इत्तला मिली है कि उन को नोटिस दिया गया है । खैर, मेरे कहने का मतलब यह है कि इन हालात के अन्दर जो अब तक हमारे सामने रहे हैं, हमें सोचना होगा कि हम आप को इस तरह की ताकत दें या न दें । १३ वर्ष बाद जब अब तक आप के आफिसर्स ने खयाल नहीं किया, तो आप हम से यह ताकत लेना चाहते हैं ।

अगला प्लाइंट यह है कि अभी आपने कहा कि बहुत सी जायदाद ऐसी है जो कि निकासी की करार नहीं दी जानी चाहिये थी, लेकिन वह निकासी की करार दे दी गई । अब अगर यह पता चलता है कि वह निकासी नहीं करार दी जानी चाहिये थी, इसलिये हम गवर्नमेंट को ताकत दे देवें कि उन आदमियों को जिन की वह जायदाद है, या तो जो पूल है उस में से जायदाद दे दी जावे और अगर उस में से न दी जा सके तो ऐसी सूरत में उन का उन को रुपया दे दिया जाये । मैं समझता हूं कि यह बात आम तौर पर बिल्कुल माकूल है कि जो जायदाद निकासी नहीं होनी चाहिये थी वह निकासी हो गई तो उसे वापस किया जाये । लेकिन आप को अच्छी तरह पता है कि यह किस्सा आज से नहीं चल रहा है । यह अर्से से चल रहा है और जायदादें यके बाद दीगरे निकाल दी गई । एक वक्त वह भी आया जब यह कह दिया गया कि इवैक्वी जायदाद को और नहीं बढ़ाना है । आप उसको बढ़ा नहीं सकते लेकिन उस जायदाद में से निकाल सकते हैं । मुझे इस में भी कोई उज्र नहीं है....

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (अम्बाला) : सेक्शन १६ उन के लिये है जो हिन्दुस्तान से बाहर गये ही नहीं ।

**श्री अचित राम** : आप के दिल में जो खयाल है वह मेरे दिल में भी है । जो जज्बा आप के अन्दर है, कम से कम उतना तो जरुर है । मैं समझता हूं कि इस के अन्दर सेकुलर खयाल है लेकिन मैं दर्याफ्त करना चाहता हूं कि जो आज बहुत से ऐसे आदमी हैं जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हो कर आये हैं उन्होंने किस वजह से अपने क्लेम नहीं दिये ? क्या यह नहीं कहा जा सकता कि इन्साफ के लिहाज से आज जितना इवेक्वी पूल है, उस में उनका हिस्सा है जो पाकिस्तान से अपनी जायदाद छोड़ कर यहां आये हैं ? उन्होंने अपना क्लेम नहीं दिया । क्या यह गवर्नमेंट उन का क्लेम लेने के लिये तैयार है ? क्या यह इन्साफ की चीज नहीं है कि उन का क्लेम दिया जाये ।

**एक माननीय सदस्य** : मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं ।

**दूसरे माननीय सदस्य** : वहां कांफ्रेंस की जा रही है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं तो सुन रहा हूं ।

**श्री अचित राम** : यह ठीक है, आप बात कीजिये बड़ी शान से, डिप्टी स्पीकर साहब वहां हैं ।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : आप कहिये ।

**श्री अचित राम** : आप का फारम वह है, मेरा यह है ।

**Shri Mehr Chand Khanna:** I am sorry; I apologize. I thought that my deputy was in his seat. He is in the House.

**Shri Achint Ram:** Both were busy: one here and the other there.

**Mr. Deputy-Speaker:** Yes; in preparation for the reply that has to be given to hon. Members.

**श्री अचित राम** : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अगर वे मेरी बात को सुनेंगे नहीं तो जवाब क्या देंगे ? खैर, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आप ने यह अच्छा फैसला किया कि आप यह ताकत लेने जा रहे हैं कि जो भी निकासी जायदाद बनाई गई, जो कि नहीं बननी चाहिये थी, उस को पे किया जाय, कैश की शक्ल में या प्रापर्टी की शक्ल में । मुझे खुशी है । अब तक हम आप का साथ देते रहे और आगे भी साथ देने को तैयार हैं कि उस जायदाद को जायदाद की शक्ल में दिया जाय या कैश की शक्ल में । लेकिन वह फैसला एकतर्फा न हो क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त भी हजारों आदमी हैं जिन्होंने गलती की वजह से अपने क्लेम नहीं दिये । जब हम कहते हैं कि उन का क्लेम लिया जाय, तो आप कहते हैं कि आप का कुसूर क्या ? आखिर मिनिस्ट्री को कब तक चलायें ? १२ वर्ष हो गये, क्या ५० वर्ष तक चलायें ? मेरे सामने एक ऐसा केस है कि जिस ने क्लेम के लिये अप्लाई नहीं किया । मैं ने पूछा कि क्या वजह है तो वह कहने लगे कि तारीख गुजर गई । बड़ी मुश्किल बात है, कब तक मिनिस्ट्री को चलायें ? अगर आप क्लेम का पेमेन्ट करने के लिये अप्लाई करने की तारीख नहीं बढ़ा सकते, क्लेम को लेने की तारीख नहीं बढ़ा सकते, तो मैं नहीं समझता कि यह जो निकासी जायदाद के लिये वक्त कैसे बढ़ाया जा सकता है । इसके लेने में कोई हर्ज नहीं है । लेकिन सब के साथ इन्साफ कीजिए । अगर बढ़ाना है तो सब के लिए लिमिटेशन बढ़ाइये । यह नहीं होना चाहिए कि एक के लिए तो बढ़ाएं और दूसरे के लिए न बढ़ाएं ।

**पं० ठाकुर दास भार्गव** : वसूली के लिए कोई लिमिटेशन नहीं रख रहे हैं ।

**श्री अचित राम** : यह अच्छी बात है । लेकिन यह ठीक नहीं है कि जहां मर्जी हो वहां आप लिमिटेशन हटा लें और जहां मर्जी न हो वहां न हटाएं । जो आप इस बारे में पावर्स ले रहे हैं उनके बारे में यहां बात करना मुनासिब नहीं है । अब तो यह बिल हाउस में आ चुका है और उस पर बहस हो रही है । अगर इस को पार्टी में लाते या स्टैंडिंग कमेटी के सामने लाते तो वहां मिनिस्ट्री इस मूड में हो सकती थी कि उसको वापस ले लेती और तरमीम कर लेती । लेकिन आज तो यह बिल मैदान में आ गया है और इसलिए इसको वापस लेना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है । लेकिन मैं कहूंगा कि अगर सचाई है तो उसे मानिए । सब के साथ इन्साफ कीजिए । जिनके क्लेम नहीं लिए गए या जिनकी ग्रांट नहीं मिली उनके साथ भी इन्साफ कीजिए । आप दोनों के साथ न्याय कीजिए ।

एक बात मैं और बोर्ड के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । कहते हैं कि बोर्ड को खत्म करने का अख्तियार हमको मिले । मैं समझता हूं कि अगर यह मामला यहां न आता और

[श्री अचित राम]

मिनिस्ट्री इस मामले को न छेड़ती तो ज्यादा अच्छा होता । बोर्ड के ख्याल को कंसीड कर लिया गया यह बड़ा अच्छा ख्याल था और बोर्ड के बड़े बड़े आदमी मेम्बर थे जैसे पंडित ठाकुर दास भार्गव, वख्शी टेक चन्द, श्रीमती सुचेता कृपलानी, डा० अनूप सिंह, लाला फीरोज चन्द वगैरह, जिन्होंने बड़ा काम किया । लेकिन जब उन्होंने एक सिफारिश की और वह मानी नहीं गयी तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमारी सिफारिश की कोई वकत नहीं है तो शायद यह मुनासिब नहीं है कि हम वहां ठहरें । उन सब ने इस वजह से इस्तैफा दे दिया । उनमें लाला फीरोज चन्द भी थे । उन जैसा आदमी देश में कम ही होगा । उन सब ने इस्तैफा दे दिया लेकिन इस बात का आज देश में किसी को पता तक नहीं है मिनिस्ट्री ने इस बात की कोई जरूरत भी नहीं समझी कि उनको एक बार कहती कि वह अपना इस्तैफा वापस ले लें । कहने का मतलब यह है कि जो आज बोर्ड है वह बे हकीकत है, उसकी कोई कद्र नहीं है । वह तो ऐसे हैं कि जैसे किसी चीज का महज कागज पर नाम लिख छोड़ा हो । वह बोर्ड मिनिस्ट्री को क्या तकलीफ दे सकता है । जब मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो वह बोर्ड भी खत्म हो जाएगा । उसे अभी से खत्म करने का क्या मतलब है । मैं यह समझता हूं कि मिनिस्टर साहब ने और जो दूसरे मेरे भाई गवर्नमेंट में हैं उन्होंने इस मामले में काफी खिदमात की हैं । और मैं समझता हूं कि अगर यह मिनिस्टर साहब न होते तो रिफ्यूजीज का मसला इस तरह से हल न हो पाता लेकिन इसके साथ मुझे कोई शक नहीं कि हमारे कुछ दूसरे भाइयों ने भी जैसे पंडित ठाकुरदास ने, डा० अनूप सिंह ने, श्रीमती सुचेता कृपालानी वगैरह ने भी ऐसी खिदमात की हैं और मुफ्त की हैं । उनकी खिदमात किसी से कम नहीं हैं । हमारे देश के और भाइयों ने भी बहुत खिदमात की हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड को कायम रखा जाए और इसकी खिदमात से फायदा उठाया जाए । अभी बहुत से मामले हैं, जैसे एक इन्दिरा मारकेट का मामला है । मैं ठीक नहीं कह सकता लेकिन शायद इस बोर्ड ने कुछ लोगों के हक में सिफारिश की थी । इन्दिरा मारकेट में बहुत सी दुकानें हैं । लेकिन चार दुकानें ऐसी हैं जिन पर सीढ़ियों की वजह से ज्यादा खर्चा हो गया है । ये दुकानें चार बदकिस्मत आदमियों को अलाट की गयीं । उनकी कोई खास ख्वाहिस नहीं थी कि उनको उन दुकानों को अलाट किया जाए । लेकिन अब कहा जाता है कि चूंकि इन दुकानों पर खर्चा ज्यादा हो गया है इसलिए इनको नीलाम किया जाएगा । इसमें उन लोगों का क्या कुसूर है । लेकिन उनकी कोई अपील नहीं सुनता उनकी कोई दलील नहीं सुनता । उनकी शिकायत की सुनवाई कहीं नहीं हो सकती । किसी एडवाइजरी कमेटी वगैरह में उनकी सुनवाई नहीं हो सकती । उनकी बहुत साफ दलील है । वह कहते हैं कि हमारा क्या कुसूर है । वह कहते हैं कि हमारे अन्दर इतनी ताकत नहीं है कि हम नीलाम को उठा सकें क्योंकि उसका निलाम २५–२६ हजार तक होगा जब कि दूसरों से दस हजार लिया गया है । अब उनकी सुनवाई नहीं है । पहले तो मिनिस्ट्री को एडवाजरी बोर्ड भी कुछ कह सकता था लेकिन अब वह भी नहीं रहेगा । इसलिए मैं समझता हूं कि बोर्ड को हटाना इन्साफ नहीं होगा । मैं मिनिस्टर साहब से जब कोई बात कहता हूं तो वह उसको समझते हैं । मुझ से बाज अफसरान ने कहा है कि मिनिस्टर साहब सुनते नहीं । लेकिन मेरी बात तो वह सुनते हैं । मैं कहता हूं कि आप इन चार दुकानों को क्यों नीलाम करते हैं जब कि दूसरी दुकानों को नीलाम नहीं करते । वह कहते हैं कि जो कुछ ज्यादा खर्चा हुआ है वह ले लीजिए लेकिन कहा जाता है कि नहीं, नीलाम होगा ।

इस के सिवा और भी ऐसी कुछ बातें हैं। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बोर्ड को इस वक्त हटाना मुनासिब नहीं होगा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो मेम्बर इस को छोड़ गये हैं उन को इस में शामिल होने के लिये वापस बुलाइये। उन्होंने बहुत खिदमात की हैं और आगे भी कर सकते हैं गो कि उन को इस के लिये कोई खिताब नहीं मिलेगा। जब मिनिस्ट्री खत्म होगी तब वे लोग भी चले जायेंगे। लेकिन आप का यह कहना कि तुम तो चले जाओ और बाद में आवेंगे या नहीं यह देखा जायेगा; यह मुनासिब नहीं है। जिन लोगों ने देश की इस बोर्ड में इतनी खिदमत की वह आज इस में से बेइज्जत हो कर निकले किसी ने उन के लिये एक आंसू तक नहीं बहाया यह अफसोस की बात है कि जो देश की इतनी खिदमत करें वह इस तरह से बेइज्जत हो कर निकलें। और फिर आप देखें कि इस का क्या असर पड़ता है। यह चीज मिनिस्टर साहब पर भी उलट कर आ सकती है। जिन लोगों ने इस मिनिस्ट्री की इतनी खिदमत की जब उन के साथ यह हो सकता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं। वह जो बोले हैं मैं वही कोट करता हूं। उन्हों ने कहा था कि मेरी तो दो मेम्बरों की कांस्टीट्युऐंसी है, जिन में एक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और दूसरे पन्त जी। लेकिन आप याद रखें कि बाज वक्त मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं। जिन और लोगों ने काम किया है उन की भी परवाह करनी चाहिये। कभी उन के साथ भी ऐसा ही न हो।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जनाब वाला, जहां तक लालाजी चाहें एडवाइजरी बोर्ड के बारे में कहें, एडवाइजरी कमेटी के बारे में कहें, अफसरों के बारे में कहें और मेरी जात के मुताल्लिक कहें। इस का उन को मुकम्मल अख्तियार है। लेकिन मोटिव एट्रीब्यूट करना यह ज्यादती है। यह कहना ज्यादती है कि मैं मेम्बरों की परवाह नहीं करता और पन्त जी या पंडित जी की ही परवाह करता हूं। बेशक वह हमारे नेता हैं और बुजुर्ग हैं, और मैं उन की इज्जत करता हूं और मैं दूसरे मेम्बरान की भी इज्जत करता हूं, लेकिन यह रिमार्क जो कि लालाजी ने किये हैं उन में मुझे सचाई नजर नहीं आती।

**श्री अचित राम** : मेरे अजीज दोस्त ने जो बात पब्लिक में कही थी वही मैं ने यहां कही है।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं ने यह नहीं कहा।

**एक माननीय सदस्य** : क्या आप की मिनिस्टर साहब से प्राइवेट बातचीत भी होती है।

**श्री अचित राम** : जी हां, होती है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : पर यहां पर प्राइवेट बात न की जाये।

**श्री अचित राम**: मैं तो वही बात कह रहा था जो कि मिनिस्टर साहब ने पब्लिक में कही थी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आनरेबिल मेम्बर इस बात को बार बार न दुहरायें।

**श्री अचित राम** : मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं उन का बड़ा मशकूर हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह कोई ऐसी बात कहें ताकि जैसी तसल्ली मुझे मिली है वैसी भी दूसरों को भी हासिल हो। अगर ऐसा हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक वक्त था जब कि मिनिस्टर साहब बहुत नाराज हो जाया करते थे। यह बड़ी खुशी की बात है कि अब वह हंसते हैं, खुश रहते हैं और सब बातों को बर्दाश्त करते हैं।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : उस का असर आप देख रहे हैं। वह तो आप से ही नजर आ रहा है।

**श्री अचित राम** : मैं तो यह चाहता हूं कि जैसे मैं हंसता हूं, उस तरह सब हंसें और खुश रहें।

[श्री अचित राम]

लेकिन दि लीस्ट यू कैन डू, वह यह है कि मिनिस्टर साहब उन से दरख्वास्त करें कि वह एडवाइजरी बोर्ड में आ जायें। उस में तनख्वाह नहीं मिलती है, कुछ और नहीं मिलता है। वे सिर्फ मैम्बर हैं। आखिर में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह पावर का मिसयूज न होने दें। अगर पावर को करप्ट आदमियों के हाथों में दिया गया, तो और खराबी होगी।

**चौ० रणबीर सिंह** (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में .....

**उपाध्यक्ष महोदय**: अभी मैंने तो माननीय सदस्य को बुलाया नहीं है।

**चौ० रणबीर सिंह** : मैं ने शुरू कर दिया है। मैं आप का बड़ा मशकूर हूं कि .....

**उपाध्यक्ष महोदय** : मगर मुझे जरूर शिकायत है कि ऐसा नहीं होना चाहिये।

**चौ० रणबीर सिंह** : ऐसा नहीं होगा।

इस बिल में यह जिक्र किया गया है कि किसी अनाथाराइज्ड आदमी के साथ हम कैसा व्यवहार करें। वैसे तो यह बहुत अच्छा और मासूम स्टेटमेंट लगता है और बहुत सही बात लगती है कि जो शख्स बारह साल तक ज्यादती करता रहा है, उस के साथ हम रियायत क्यों करें, लेकिन इस के पीछे क्या छिपा है, वह हम को देखने की कोशिश करनी चाहिये। अभी पंडित भार्गव ने कहा है कि ये अफसर अब तक क्या करते रहे हैं। मैं उन की और इस सदन की जानकारी के लिये एक मिसाल रखना चाहता हूं कि अन-अथाराइज्ड का मतलब क्या है।

किरकी गांव में जो जमीन एलाट हुई, वह ऐसे भाइयों को हुई, जो पहले कभी इस सदन की जगह के मालिक थे। चूंकि यह सदन बनना था और नई दिल्ली आबाद होनी थी, इस लिए उन को उखाड़ा गया और वे यहां से वेस्ट पाकिस्तान गए, जहां पर उन को जमीन दी गई। फिर देश का पार्टीशन हुआ और उन को वहां से उखड़ना पड़ा। उस के बाद इस मंत्रालय में यह फैसला हुआ कि जो भाई दिल्ली के रहने वाले थे, उन को हिसाब-हिसाब के मुताबिक जमीन दिल्ली में मिल सकती है, जसे कि वस्ट पंजाब के भाई को ईस्ट पंजाब में जमीन मिली। चुनाचे यहां पर सैकड़ों कुनबों को जमीन दी गई और इन में किरकी वाले भाई भी थे। इस सिलसिले में जो चिट्ठी निकली उस को मने पढ़ा और डिप्टी चीफ़ सैटलमेंट कमिश्नर को भी पढ़ाई। शायद अंगरेजी मुझे कम आती हो। जो भी हो, उन्होंने उस का कुछ और मतलब निकाला। लेकिन वहां पर सौ से ऊपर फ़ैमिलिज थीं। उन में से कुछ को मालिक बना दिया गया। दूसरों को कहा गया कि यह जमीन क्वासी-पर्मानेंट बेसिस पर नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यह सबूत दो कि क्वासी पर्मानेंट बेसिस पर यह जमीन दी गई है या नहीं। मैंने चिटठी का डायरेक्ट इनफरेंस यहीं समझा कि वह जमीन क्वासी पर्मानेंट बेसिस पर समझी जायगी। तेरह सौ एकड़ जमीन थी और सिर्फ एक हजार एकड़ जमीन उन्होंने ली। और पंजाब में सिंध और बलोचिस्तान के भाइयों को बसाने के लिए पंजाब में जमीन दी जाने का हुक्म निकाला गया। मुझे मालूम नहीं कि पंजाब सरकार ने जमीन दी या नहीं लेकिन मुझे बताया गया है कि उस से भी ज्यादा पंजाब सरकार ने दी है। मेरा पंजाब सरकार या गवर्नमेंट आफ इंडिया के झगड़े से सरोकार नहीं है। अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया पंजाब सरकार से अपनी बात न मनवा सकी, तो इस से उन गरीब आदमियों को कैसे सजा दी जा सकती है, जिन को सरकार की चिट्ठी के मुताबिक जमीन दी गई थी। आज बारह सालों के बाद एक चिट्ठी निकाली जाती है कि तुम इस जमीन के एलाटी नहीं रहे और तुम्हारे पास जमीन नहीं रह सकती है। उस के

ऊपर कुएं बनाए गए, मकान बनाए गए। कुछ सरकार से कर्जा लिया गया। वह जमीन ऐसी है, जहां बरसात में कोई दस बारह फ़ीट तक पानी खड़ा रहता है, लेकिन किसी साहब के दिमाग में आ गया कि उस जमीन पर भी मकान बनाए जाने चाहिए, वहां शहर बसाया जाना चाहिए और उस को शहर में शामिल करना चाहिए। मुझे बताया गया है कि किसी साहब ने उन से कुछ चाहा। उन्होंने तो मुझे नाम भी बताया था कि वह फलां अफसर है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यह वाकया है कि उन से कुछ मांगा गया। अगर एक आदमी का काम होता, तो शायद उन की मंशा पूरी कर दी जाती और फिर न शहर बनाया जाता और न यह झगड़ा खड़ा होता और यह सवाल भी न उठता कि वह जमीन क्वासी-पर्मानेंट बेसिस पर दी गई या नहीं। इस का ताल्लुक कई आदमियों से था, इस लिए उन की मंशा पूरी नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यही वजह है कि हम सांझी खती मुश्किल से कर सकते हैं, क्योंकि कई आदमियों का फ़ैसला मुश्किल से ही होता है। जिस जमीन में बरसात में बांस भर पानी खड़ा होता है, उस के बारे में इस मंत्रालय के कुछ अफसरों ने कहा कि यह जमीन शहरी करार दी जायगी और वह आप को छोड़नी पड़ेगी। एक बहुत ऊंचे दर्जे पर यह फैसला किया गया कि वे इस में एक तिहाई, या एक चौथाई जमीन रख सकते हैं, बाकी नहीं और हिसाब लगा दिया कि करोड़ रुपए की जमीन बनती है और यह लाख रुपए का हिसाब बनता है और यह हम कुछ रियायत करते हैं। हमने अपने विधान में यह रखा है कि कोई कानून बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जायगा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो और अगर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, या उस का असर डिस्क्रिमिनेशन है, तो वह कानून नहीं है। वहीं उसी जगह में मेरे जैसे कुछ भाइयों की जमीन की कीमत बढ़ी, जो कि उसी गांव में पैदा हुए थे—पैदा तो वे भी वहां ही हुए थे, लेकिन वे उखड़ कर फिर आए—और उन पर कोई टैक्स नहीं है। वे सौदा कर सकते हैं, कम ज्यादा ले सकते हैं और उन की जमीन की कीमत इस हिसाब से बढ़ गई। एक की कीमत बढ़ गई और उस को चाप आफ कर लिया जाय और दूसरे को रहने दिया जाये, इस के बारे में रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री के लोग शायद कहें कि यह हमारे महकमे का अख्तियार है, लेकिन इस सदन का काम कानून बनाना है और वह दोनों के लिए कानून बना सकता है। मैं समझता हूं कि इस में डिस्क्रिमिनेशन हुई है। अगर जमीन की कीमत बढ़ी है, तो जो फालतू पैसा है, जैसे पंजाब में मरला टैक्स लगाया गया है, वैसा ही कोई टैक्स लगाया जाये, तो हम आप का समर्थन करेंगे। वह सब पर लागू होगा। जो भाई उजड़ कर गए हैं, उन पर भी लागू होगा। लेकिन यह कहना कि तुम्हारा इतना हिस्सा अब एलाटमेंट नहीं समझा जायगा और इस लिए वह अन-अथाराइज्ड समझा जायगा, मुनासिब नहीं है। मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से कहना चाहता हूं कि हालांकि उन को सारे देश के हालात का पता है, लेकिन क्या उन को इस तरह के केसिज़ का भी पता है। जहां तक मैं समझता हूं, अन-अथाराइज्ड में यह कैटेगरी भी आयगी, जिस पर तलवार चलेगी और जिस के लिए कोई अपील नहीं है। जब कानून बन जायेंगे, तो मिनिस्टर साहब भी यह कहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जा कर उन्हें मना भी लिया कि ज्यादती है, गजब है, लेकिन फिर भी चूंकि इसकी कानून से सैंक्शन होगी इस वास्ते उसके ऊपर कोई रहम नहीं हो सकता। जिस ढंग से यह कानून पर इस मंत्रालय में अमल किया जाता है, जिस ढंग से काम किया जाता है वह एक अजीब ढंग है। अभी लाला अचित राम जी ने कहा कि पूल से कुछ वापिस ले लें, उन्होंने गिला भी जाहिर किया है, मुझे भी बहुत ज्यादा शौक नहीं है इसका।

[चौ० रणवीर सिंह]

मैं ने प्राइम मिनिस्टर साहब से होम मिनिस्टर साहब से और मिनिस्टर साहब रिहैबिलिटेशन से अर्ज किया था कि पूल के पीछे वे बेशक न पड़ें और बहुत सा जो रुपया रखा है उसको पूल में डाल दें लेकिन गरीब हरिजनों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिये । वे कितने ही सालों से उस जमीन पर मकान बना कर बैठे हुए हैं और अगर मुसलमान भाई न भी जाते तो भी बगैर मुआवजा दिये वे उस जमीन के मालिक बन जाते । लेकिन मुसलमान चले गए तो उनसे थोड़ा बहुत ले लीजिये या आप का जो फंड है उसमें से दे दीजिये । यहां पर एलान हुआ, यहां पर जवाब दिया गया कि हम ने फैसला कर दिया है । मगर जिन लोगों ने उस फैसले पर अमल करना होता है जब कागज उसके पास जाते हैं तो होना कुछ और ही है । बड़े ऊंचे स्तर पर फैसला हुआ और उसका यहां ऐलान हुआ लेकिन उसके बाद हुआ है कि जिस जमीन की आज बाजार के अन्दर कीमत २० रुपया गज है उसकी कीमत तो दो रुपया गज लगी हुई है और जिस हरिजन का मकान है, उसके नीचे जो जमीन है और उस मकान की कीमत किसी दूसरे भाई को देनी पड़े और फिर वह उसको खरीदे तो जहां उसकी कीमत तीन रुपया से ज्यादा नहीं होगी, वहां उसकी कीमत १५०० रुपये ५० गज की रखी हुई है । इसको दूर करने के लिये कहा गया है कि अर्जी दीजिये और इसका भी एक तरीका चलता है । जो रियायत हम आपसे लेते हैं और जिसका बहुत जिक्र होता है कि पूल में से इतना रुपया निकल गया है, वह सारी की सारी वहीं खत्म हो जाती है ।

हमारे मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी तरह से बात को सुनते हैं और बड़े मजबूत इरादे के आदमी भी हैं और जो बात उनकी समझ में आ जाये उसको करने में भी बड़े माहिर हैं । उनका वकालत का तरीका भी बहुत अच्छा है । मुझे मालूम नहीं कि वह वकील हैं या नहीं या कि मेरी तरह से ही हैं । लेकिन उनकी वकालत का तरीका बहुत अच्छा है । अभी उन्होंने लाला अचित राम जी से कहा कि यह तो क्लेम्स को एडजस्ट करने का सवाल है, रियायत देने का सवाल है और अगर आपको यह मंजूर न हो तो इस पर सोचा जा सकता है । उनकी यह बात बड़ी अच्छी लगी । लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोआप्रेटिव सोसाइटीज में कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कि कोई कर्ज नहीं किया होता है या जिन के पास कोई क्लेम नहीं हैं । लेकिन वहां पर वह रुपया एडजस्ट होगा । फर्ज किया १०,००० रुपया एडजस्ट कराया और उसकी मार्किट वैल्यू ८००० है तो उस सोसाइटी को २,००० का घाटा हो गया लेकिन जिन मैम्बर्स के क्लेम हैं वे जो एडजस्ट हो गये, उनको तो कोई घाटा नहीं हुआ लेकिन उन मैम्बर्स ने क्या कसूर किया जिनके क्लेम नहीं हैं या जिन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया और उनको पेनेलाइज क्यों किया जाता है । क्यों उनको २० परसेंट या २५ परसेंट का घाटा उठाना पड़े या क्यों उस घाटे को वह सोसाइटी बरदाश्त करे । सरकार अगर चाहे कि उसको सहुलियत दी जाये तो वह यह कह सकती है कि वह एक दम से प्रोनोट समझा जायेगा, जिस तरह से एक नोट एक आदमी को दे दिया जाता है कर्जे में उसी तरह से सरकार पूरे पैसे दे देगी तो कोई एतराज की बात नहीं है । इसके बारे में अगर सरकार यकीन दिलायें तो हम सैटिसफाइड हो जायेंगे वर्ना मैं समझता हूं कि जिस नागपुर प्रस्ताव को हमने पास किया और जिसके जरिये से हम सहयोगी संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं, वह हम नहीं दे सकेंगे और उनको एक धक्का सा लगेगा कुछ एक आदमियों की खातिर । मुझे मालूम नहीं है कि वे आदमी कौन हैं और मैं समझता हूं कि मंत्रालय को भी यह बात मालूम नहीं है । मैं समझता हूं कि एक आदमी जिसने कर्जा लिया है क्यों न उसको

इजाजत हो कि वह उस कर्जे की क्लेम में से अदायगी कर दे । लेकिन इसके अन्दर जो पेचीदगी है वह यह है कि जो मैं ने अभी बतलाई है । मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इसको साफ करें और बतलायें कि वह इसका क्या हल ढूंढ रहे हैं ।

साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अन-आथोराइज्ड लोगों के साथ जोकि गरीब हैं कोई किस्म का धोखा नहीं होना चाहिये, जिन के पास चिट्ठियां मौजूद हैं, जिन के दो भाई हैं, जिन को क्वेसी परमामेंट बेसिस पर जमीन दी गई थी उनमें से एक को तो कहा जाये कि तुम साबित करो कि यह क्वेसी-परमामेंट बेसिस पर है और दूसरे को कुछ भी न कहा जाये कि वह इस चीज को साबित करे, ठीक नहीं है। दो भाई थे, एक को एक गांव में और दूसरे को दूसरे गांव में जमीन दी गई और अब उनमें से एक को यह कहा जाये कि तुम इस चीज को साबित करो कि यह क्वेसी-परमानेंट बेसिस पर है, तो उसके लिये कहां तक आसान बात होगी, इसको साबित करना, यह देखने वाली बात है लेकिन अगर देखा जाये तो मैं समझता हूं कि इस मामले में मिनिस्ट्री का कोई स्टैंड सही नहीं है । मैं चाहता हूं कि उनको धोखा न हो और इस कानून के जरिये उन पर तलवार न चले ।

दूसरी बात मैं फिरकी गांव के बारे में कहना चाहता हूं । वहां सिंध, बलोचिस्तान तथा फ्रांटियर से आये लोगों को जमीन देने का जो तरीका था, वह उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है । वेस्ट पंजाब से जो भाई आये यहां पर उनकी गिरदावरियां देखी गईं और इस बात की तसल्ली कर लेने के बाद कि उनक पास जमीन थी, इसकी तसदीक कर देने के बाद एक सिलसिले से उनको जमीन मिली । इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन दूसरे भाइयों के साथ भी वही कायदे कानून बरते जाने चाहिये थे । ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक वर्ग के साथ एक तरह का सलूक हो और दूसरे के साथ दूसरी तरह का और वह भी एक ही दिल्ली स्टेट में । यहां पर दिल्ली में कुछ भाइयों को एक तरह से डील किया गया और दूसरों को दूसरी तरह से, यह सही नहीं है । सब के साथ एक सा ही सलूक होना चाहिये ।

अब मैं अनआथोराइज्ड आक्युपेंट्स के बारे में कुछ और कहना चाहता हूं । इन्होंने हेराफेरी से जमीन हासिल की है । इनमें बड़ी भारी तादाद फिरोजपुर जिले में रहती है । ये राय सिख हैं और इनकी काफी बड़ी तादाद है । इनको जरायम पेशा कहा जाता है । मैं मानता हूं कि आज इस देश में कोई जरायम पेशा नहीं है और इस चीज को हम ने हटा दिया है । इनमें कुछ अपगुण भी होंगे लेकिन एक गुण है कि ये बहुत अच्छे काश्तकार हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं । रात को शायद कभी कभी चोरी भी कर लेते हैं और वह भी बड़ी मेहनत से करते हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सारे मेरे जिले के हैं, इसलिये खयाल रखें ।

**चौ० रणवीर सिंह** : मैं उन्हीं की वकालत कर रहा हूं । अगर वे चोरी करते हुए पकड़े जायें तो उनकी इसको सजा देना अदालतों का काम है, रिहैबिलिटेशन महकमे का नहीं । वह उनको सजा न दे । वे सरहद पर बैठे हुए हैं । आज तो अयूब खां साहब वहां पर हैं और वहीं पर हमारे जिले के एक साहब जनरल हैं जिन का नाम उमराव खां साहब है । जिस तरह से पंजाब वालों ने झगड़ा किया था उसी तरह से पंजाब वालों ने सरदार स्वर्ण सिंह ने और उमराव खां साहब ने उसका फैसला भी जल्दी कर दिया और आज सरहद पर बैठ कर खेती करना आसान हो गया है । लेकिन आज से दस बारह बरस पहले इन लोगों ने सरहद पर बैठ कर खेती की थी और अनाज पैदा किया था जिस से इम्पोर्ट कम हुआ और उस वक्त वहां खेती करना कोई आसान काम नहीं था । इन लोगों ने

[चौ० रणबीर सिंह]

जो इतनी सेवा की उनके साथ इस वास्ते कि वे अनआथोराइज्ड हैं, आम आदमियों की तरह से व्यवहार करना ठीक नहीं होगा और मैं चाहता हूं कि उनके साथ आप हमदर्दी से पेश आयें।

जिस वक्त लाला अचित राम जी बोल रहे थे तो मैं ने कहा था कि अगर इस जमीन की मालिक सरकार न होती और इसका मालिक मैं होता तो न मैं उनको जो उस पर बस गये थे निकाल सकता था और न कुछ और कर सकता था। लेकिन आज खन्ना साहब उस जमीन के कानूनी तौर पर मालिक बन गये हैं तो उनको क्यों निकाला जाता है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिये जो व्यवहार कि अगर मैं उस जमीन का मालिक होता तब होता। मैं से मेरा मतलब मैं नहीं है बल्कि किसी भी भाई से हो सकता है। अब जब कि सरकार उस जमीन की मालिक समझी जाती है मैं चाहता हूं कि उसमें कोई भी किसी किस्म का डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये।

**Shri Mehr Chand Khanna:** Sir, before he resumes his seat, I would like if he could give me information on two points. During the course of the debate, Chaudhuri Ranbir Singh made a reference to a particular officer. He did not want to name him in the House, but he accused him of illegal gratification and thus victimising certain displaced persons. Secondly, he also made a reference that in spite of my orders that certain concessions, rather substantial, have been given to the Harijans, those orders were not being carried out and certain cases had come to his notice where in spite of the fact that the land should have been charged at a very small rate or a low rate, excess valuation was being made. I shall be grateful if he would send me information on those two points.

**चौ० रणबीर सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इस सदन का वक्त लेना सही नहीं है, मैं मंत्री महोदय को सारे डिटेल्स बाद में दे दूंगा।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : अभी नहीं बाद में।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मिनिस्टर साहब भी यही कहते हैं कि अभी नहीं बाद में दे दीजियेगा।

**श्रीमती सुभद्रा जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ को तो एक ही बात कहनी है। अभी हमारे आनरेबल मेम्बर ने जिक्र किया कि सेक्शन १६ की तहत पूल में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिये, और यह कि सेक्शन १६ के अन्दर जमीन वापस दी जाती है तो क्लेम्स देने की तारीख भी इसी तरह से क्यों नहीं बढ़ाई जाती। मुझे तो सिर्फ यह अर्ज करना है कि इन दोनों में कोई असली मुकाबला नहीं है। अगर आनरेबल मिनिस्टर चाहें, और हाउस के सदस्य चाहें तो क्लेम्स देने की तारीख जब तक बढ़ सके, बढ़ाते चले जायें। मैं उस का स्वागत ही करूंगी। पर जहां तक सेक्शन १६ का ताल्लुक है मैं आनरेबल मेम्बर्स से यह कहना चाहती हूं कि जहां क्लेम्स का इतिहास एक दुःखपूर्ण इतिहास है वहां इवैकवी प्रापर्टी बनाने का इतिहास उस से भी ज्यादा दुःखपूर्ण है। अभी हमें हजारों ऐसी सम्पतियों का पता चला है। इस में अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, पर जिस वक्त यहां पर फसाद हुए, तो लाखों की सम्पत्ति हमारे हाथ में आई और उन में से बहुत सारे केसेज ऐसे भी थे जिन के मालिक यहां मौजूद थे, दिल्ली की बात मैं खास तौर पर जानती हूं, जहां से लोग गये ही नहीं थे और न कहीं जाने का खयाल ही रखते थे। ऐसे आदमियों की लाखों की जायदाद हुकूमत के हाथ में आई। मैं इस इतिहास के एक एक नस से वाकिफ हूं। बहुत सारे लोगों के दिल में भी यह खयाल नहीं

आया कि वह सम्पत्ति का क्या करेंगे । उन्होंने समझा कि वह सारी सम्पति हुकूमत की हो गई । गांधी जी उस समय दिल्ली में मौजूद थे । गांधी जी ने कहा कि जिस जायदाद का मालिक मौजूद हो, अगर उस जायदाद का मुआवजा दिये बगैर हुकूमत उसको अपना कर लेती है तो हुकूमत चोरी करती है । उन्होंने कहा कि जिस जायदाद का मालिक मौजूद है, अगर उस जायदाद का मालिक चाहता है तो हुकूमत उस की कस्टोडियन हो सकती है, मालिक नहीं हो सकती है । और उस वक्त से कस्टोडियन का महकमा बना । हमारी बदकिस्मती कि पाकिस्तान से समझौता नहीं हो सका, वह हिसाब किताब नहीं हो सका । जो लोग चले गये, वह चले गये, पर जो लोग मौजूद हैं, मैं आज भी सैकड़ों लोगों को जानती हूं, जो एक दिन के लिये भी कहीं नहीं गये, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ रुख भी नहीं किया, उन की जायदाद लेबल लगाने के बाद या वगैर लेबल लगाये हुए इवैक्वी प्रापर्टी कर दी गई । हमारे बहुत से आनरेबल मेम्बर्स जानते हैं सब्जी मंडी, पहाड़गंज और दिल्ली के दर्जनों इलाकों में यह काम हुआ । वहां पर जायदादों के मालिक असेसमेंट को जा कर देख नहीं सकते थे । उस का क्लेम देना तो अलग रहा, जा कर देख भी नहीं सकते थे, भले ही वह दिल्ली में बने रहे हों । उन की प्रापर्टी को इवैक्वी प्रापर्टी बना दिया गया । हमारे यहां एक गवर्नर थे, वह अम्बैसेडर भी रह चुके थे, आसफ अली साहब, उन की प्रापर्टी इवैक्वी प्रापर्टी करार दे दी गई । हमारे एजूकेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, सैयदैन साहब हैं, उन की जायदाद का भी फैसला कुछ नहीं हुआ । यह तो मैं बड़े बड़े आदमियों का नाम ले रही हूं । अनगिनती लोग हैं जो पिछले दस बारह वर्षों से कस्टोडियन के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं । अगर किसी की दो प्रापर्टीज का सवाल पैदा होता है तो एक प्रापर्टी के लिए तो वह इंडियन नैशनल हैं, लेकिन दूसरी प्रापर्टी के लिये यह साबित नहीं हो सका है कि वह इंडियन नेशनल है । इस के लिये वह आज भी चक्कर काट रहे हैं । इसलिये मुझे तो यह अर्ज करना है कि आज सेक्शन १२ का मुकाबला दूसरी चीज से नहीं हो सकता । आज अचित राम जी पूल को बढ़ाने की बात कहते हैं । तो जो मेरी प्रापर्टी है वह भी ले लो, जो अचित राम जी के पास है वह भी ले लो, ठाकुर दास जी के पास है वह भी ले लो । जितनी जायदाद हम लोगों के पास हो सकती है आप वह सब लेते जायें । और पूल को बढ़ाते जायें । अगर इतिफाक से कोई मुसलमान यहां का हो और उस के घर का पता खन्ना जी को चल जावे तो वह सिर्फ उस की जायदाद ले लें, मेरी न लें, पूल को बढ़ाने के लिये, अचित राम जी की जायदाद न लें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । आज सेक्शन १६ का सार्टिफिकेट किस को मिलता है ? जिस के लिये स बिस हो जाय कि उसकी जायदाद को गल्ती से इवैक्वी प्रापर्टी कर दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिये था । हिन्दुस्तान का नैशनल है । हिन्दुस्तान के हम भी नैशनल हैं, हिन्दुस्तान के सैयदैन साहब भी नैशनल हैं, हिन्दुस्तान के आसफ अली साहब भी नैशनल थे । पर चूंकि यह पता हो गया कि यह मुसलमान की है, इसलिये उस की प्रापर्टी को ले कर इवैक्वी प्रापर्टी को बढ़ा दो । अगर यह पता हो जाय कि वह इत्तफाक से हो गई तो उस की प्रापर्टी न लो । मैं पूल बढ़ाने की बात समझ सकती हूं, लेकिन अगर इस तरह से गवर्नमेंट करती है तो जैसे गांधी जी ने कहा था कि वह चोरी है, आज वह चोरी ही रहेगी । इस लिये जिस की प्रापर्टी हो उस को मिलनी चाहिये । पूल को बढ़ाने के लिये अगर रुपये की जरूरत हो तो उस को गवर्नमेंट बढ़ाये और जितना हो सकता है, उस के लिये दें ।

**Mr. Deputy-Speaker:** Shri Daulta. He is not prepared to speak. Then Shri Sinhasan Singh.

**Shri Mehr Chand Khanna:** He spoke yesterday.

**Mr. Deputy-Speaker:** Somehow his name is put down here.

**Shri P. S. Daulta** (Jhajjar): It is by mistake. The chit was meant for the second Bill.

**Mr. Deputy-Speaker:** Shri Sinhasan Singh.

**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के बारे में मेरी कोई खास जानकारी नहीं थी, और मैं बोलने के लिये तैयार भी नहीं था। लेकिन कल जब इस विधेयक का सरहदी साहब द्वारा विरोध हुआ तो मैं ने इस को पढ़ने का विचार किया, और पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे यह अनुभव हो गया कि अगर यह विधेयक इस हाउस से पारित हुआ तो, जैसा अभी मेरी सुभद्रा बहन ने कहा, उस से एक वर्ग विशेष पर बड़ा भारी आघात होने जा रहा है।

मैंने इस विधेयक में एक दफा देखी जो सेक्शन २० का अमेंडिंग सेक्शन २०(ए) के नाम से रखी जा रही है जिसके जरिये उन सम्पत्तियों के लिये भी, जो कि कस्टोडियन जनरल के फैसले के मुताबिक इवैक्वी प्रापर्टी नहीं रही और यहां पर रहे हुए मुसलमान नागरिकों की प्रापर्टी हो गई, लेकिन किसी कारण से अगर वह प्रापर्टी इवैक्वी प्रापर्टी डिक्लेयर कर दी गई या किसी और तरह से किसी डिसप्लेस्ड परसन के कब्जे में चली आ रही है और जिसके हक में फैसला हो गया कि यह प्रापर्टी वापस होनी चाहिये, यह निर्देश करते हैं कि अगर वह वापस नहीं हुई तो अब इस विधेयक के द्वारा हम अपनी उस ज्यादती पर पूरी मुहर लगाना चाहते हैं कि उस गरीब को उसकी प्रापर्टी वापस नहीं होगी। उस के बजाय इस इवैक्वी पूल से उसे कोई दूसरा मकान दे दिया जायेगा, या रुपया दे दिया जायेगा। अब कहां मकान दिया जायेगा, कितना रुपया दिया जायेगा, उसकी कीमत क्या होगी इसको तय करने का अधिकार भी मैनेजिंग आफिसर को है। हमने दफा २७ को, जो कि पुराने एक्ट में थी, जिसके अन्दर कस्टोडियन जेनरल को जनरल पावर दी हुई थी कि वह किसी फैसले को रिवीजन में आकर देख सकता है, रद्द कर सकते हैं और इसे रख सकते हैं। उस फैसले की कोई अपील नहीं थी। उसके फैसले की किसी अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती थी। आज उस फैसले की सुनवाई के लिये और उसके फैसले को रद्द करने के लिये हम इस विधेयक का उपयोग करना चाहते हैं। इस चीज को देख कर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यह हमारे संविधान पर भी एक ऐसा आघात किया जा रहा है कि एक नागरिक को जिसको कानून द्वारा, अदालत के फैसले के द्वारा हक मिल चुका है कि फलां मकान उसका है, और उसे मिलना चाहिये, हम उसे वापस नहीं करना चाहते। एक और धारा २०(बी) जो है उसमें लिखा हुआ है :

"Where any person is entitled to the restoration of any property by virtue of an order made by the Custodian-General under section 27 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950, or by the competent officer under the Evacuee Interest Separation Act, 1951, and the Central Government is of opinion that it is not expedient or practicable to restore the whole or any part of such property to that person by reason of the property or part thereof being in occupation of a displaced person or otherwise, then, notwithstanding anything contained in the said Acts or this Act, it shall be lawful for the Central Government—

(a) to transfer....."

मैं तो मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कानून के पास करने से पहले वह विचार करें कि इसे पास करने का क्या असर होगा। अभी अभी हमने केरल में मुस्लिम लीग से पैक्ट किया है, चाहे यह सही हो या गलत हो। आज मुस्लिम लीग हर जगह पैदा होती जा रही है। इस विधेयक

को पास करके क्या मुस्लिम लीग को और ज्यादा जोर देने जा रहे हैं । इस विधेयक को पास करने के पहले आप यह विचार कर लें कि जो मकान मुसलमानों को कानून द्वारा मिल सकते हैं वे आप उनको देंगे या नहीं । इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बिल पर सदन का वोट मांगने से पहले आप इस पर पुनः विचार कर लें ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जब मिनिस्टर साहब ने यह बयान किया था कि वह इसको क्यों ला रहे है, उस वक्त शायद आनरेबिल मैम्बर यहां मौजूद नहीं थे ।

**श्री सिंहासन सिंह :** मैं मौजूद तो था मगर मैंने ध्यान नहीं दिया । कल मेरी मिनिस्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ कमजोरियां हैं कि जिनकी वजह से यह बिल लाना पड़ा है । कुछ आदमियों ने जबरदस्ती बिला हक के कब्जा कर लिया है कुछ जायदादों पर इसलिये यह बिल लाना पड़ा है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कब्जा नहीं किया है बल्कि वह जायदादें दो दो तीन तीन दफा बिक भी चुकी है ।

**श्री सिंहासन सिंह :** अगर ऐसा भी है तो भी जिसका हक हो उसको वह जायदाद मिलनी चाहिये । आप इस कानून को लाकर यह चाहते हैं कि जिसको वह जायदाद मिलनी चाहिये उसको वापस न लेने दें । और इस तरह से जो फैसला उसके हक में हुआ है उसको रद्द कर दें ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** यह तो उनके हक में है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह अख्तियार तो अदालत को दिया जा रहा है ।

**श्री सिंहासन सिंह :** अदालत को कहां दिया जा रहा है । इसमें तो लिखा है :

"to transfer to that person in lieu of the property to be restored or any part thereof, any immovable property in the compensation pool or any part thereof, being in the opinion of the Central Government as nearly as may be...."

यह मामला अदालत को नहीं जायेगा बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की राय से आप उसके मकान के बदले में दूसरा मकान दे देंगे या अगर मकान न मिलेगा तो रुपया दे देंगे । मेरा ख्याल गलत हो सकता है, और आप का ख्याल सही हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस कानून के जरिये एक वर्ग विशेष पर आघात पहुंचेगा । ऐसा करने के लिये आप यह कानून लाये हैं और उस पर हाउस की वोट लेना चाहते हैं । लेकिन अगर इस पर वोट लेने की नौबत आयी तो मैं फ्रीडम आफ वोट चाहूंगा, पार्टी ह्विप भी हो तो मैं इसके खिलाफ वोट करूंगा । इसके द्वारा एक अन्याय किया जा रहा है । आप इस सदन में अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिये यह कानून लाये हैं । जिसको एक चीज मिलनी चाहिये उसको वह न देना उसके साथ जबर्दस्ती है । जैसा कि मेरी बहिन सुभद्रा जी ने कहा कि गांधी जी कहते थे कि जिसकी जायदाद है उसको न देना चोरी है । तो आप इस कानून के द्वारा, जिसको जायदाद मिलनी चाहिये उसको उससे महरूम करना चाहते हैं । और उसको दे रहे हैं जो उस पर जबर्दस्ती कब्जा किये बैठा है । तो आप एक चोर को कब्जा देने की फिक्र में पड़े हुये हैं और जिसका हक है उसको नहीं देना चाहते ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या मैं आनरेबल मेम्बर साहब से पूछ सकता हूं कि इस ऐक्ट ने जब २० एकड़ पास किया था, यह तो सरीहन उनके हक में है कि उनको जमीन दी जाये और रुपया दिया जाये ताकि उनको सेटिसफेक्शन हो । दफा १६ में सरकार ने चार करोड़ से भी ज्यादा रुपया दिया है ।

**श्री सिंहासन सिंह** : चाहे ६० करोड़ रुपया रखा हो । लेकिन इस दफा से तो यह होगा कि जो प्रापर्टी कानून के मुताबिक रेस्टोर होनी चाहिये वह नहीं हो सकेगी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जिस डिस्प्लेस्ड परसन को कब्जा दिया गया वह उस जायदाद पर बैठा है । उसको आप चोर क्यों कहते हैं । जिसने उसको कब्जा दिया उसको आप कुछ कहें लेकिन जिसको कब्जा दिया गया वह तो चोर नहीं हो सकता ।

**श्री सिंहासन सिंह** : मैंने किसी को चोर नहीं कहा । मेरा तो कहना यह है कि जो अनधिकृत तौर पर कब्जा किए बैठा है । लेकिन इस कानून के जरिए आप उसको हमेशा के लिए कब्जा देना चाहते हैं और जिसकी जायदाद है उसको महरूम करना चाहते हैं ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जिसको पहले जायदाद एलाट हुई थी वह उस पर लाखों रुपया खर्च कर चुका है । उसके साथ भी इंसाफ जरूरी है ।

**श्री सिंहासन सिंह** : यह जायदाद एलाट करने का अधिकार किसने दिया । आज अदालत फैसला देती है कि वह फलां की जायदाद है और रेस्टोर होनी चाहिए । अगर आपने गलत एलाटमेंट किया है तो दूसरे को इसकी वजह से नुकसान क्यों हो ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर एलाटमेंट गलत हुआ तो वह आदमी चोर कैसे हो गया ?

**श्री सिंहासन सिंह** : चोरी का फैसला आप करिए । कस्टोडियन जेनरल ने फैसला किया कि यह एलाटमेंट गलत है और यह जायदाद इवैक्यू को मिलनी चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : तो एलाट करने वाले को आप चोर भले ही कहें लेकिन जिसका कब्जा है उसको तो चोर नहीं कहा जा सकता ।

**श्री सिंहासन सिंह** : मैंने चोर नहीं कहा । मैं तो यह कह रहा हूं कि जिसका गलत कब्जा है उसको तो आप हमेशा के लिए रखना चाहते हैं पर जिसका वास्तव में कब्जा होना चाहिए उसको महरूम करना चाहते हैं । यह आपकी कमजोरी और ज्यादती है । आपकी अदूरदर्शिता की वजह से यह अन्याय हो रहा है । और आप अपने गलत काम को सही करवाना चाहते हैं । जो आपके कस्टोडियन जनरल ने फैसला दिया है उसको आप रद्द करना चाहते हैं । यह कितनी गलत बात होगी कि इस कानून के जरिए आप उसको कब्जे में रखें जिसका हक नहीं है और जिसका हक है उसको महरूम किया जाए । जिसने जबर्दस्ती कब्जा किया है उसको आप रखना चाहते हैं ।

**एक माननीय सदस्य** : यह जबर्दस्ती कब्जा कैसे हुआ ?

**श्री सिंहासन सिंह** : जो कुछ भी हुआ हो । जिसका हक है उसके साथ इस कानून के द्वारा बेइन्साफी की जा रही है । और इसके लिए आप सदन का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं । इससे बढ़ कर गैर इंसाफी का और कोई कानून नहीं हो सकता । इन शब्दों के साथ मैं इस का विरोध करता हूं और अगर मौका आया तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं इसका विरोध करने के लिए तैयार हूं ।

**श्री मू० चं० जैन (कैथल)** : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जिस हद तक यह बिल जाता है मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं । कुछ इसमें कसर है जिसका मैं अभी बयान करूंगा ।

हमारे माननीय सदस्य श्री सिंहासन सिंह जी ने अपने जमीर का सवाल उठाया है । मैं समझता हूं कि उनको इस बिल के प्रावीजन्स के बारे में काफी गलतफहमी है । अगर वह इसके साथ का एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैक्यी प्रापर्टी बिल भी देखें तो उनको

मालूम होगा कि रिहैबिलिटेशन महकमे ने कस्टोडियन जनरल को एक नया अख्तियार दिया है, पहले कानून में यह अख्तियार नहीं था । पहले कस्टोडियन जनरल को यह अख्तियार नहीं था कि जिस प्रापर्टी को पेरेन्ट एक्ट के तहत इवेक्वी करार दे दिया गया है उसको वह फिर नान इवेक्वी करार दे सके । इस बिल से और जो इसके साथ का एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवेक्वी प्रापर्टी बिल है इन दोनों के जरिए यह अख्तियार दिया जा रहा है । कुछ मुसलमानों की ओर कुछ गैर मुसलमानों की प्रापर्टी को मतरूका करार दे दिया गया था और वे लोग चिल्ला रहे थे । इन दोनों को इसमें रिलीफ दिया जाएगा । यह रिलीफ पुराने कानून के तहत नहीं दिया जा सकता था । इसके लिए मैं मिनिस्ट्री को बधाई देना चाहता हूं । इस बिल के जरिए उन्होंने खुद अपने अफसर कस्टोडियन जनरल को यह अख्तियार दिया है कि वह निगरानी के तौर पर फाइल मंगवा कर किसी प्रापर्टी को नान इवेक्वी करार दे सकता है । शायद सिंहासन सिंह जी इसको नहीं समझे । इसमें जमीर का कोई सवाल नहीं है । इसमें तो नान डिस्प्लेस्ड परसन्स को फायदा होगा । चाहे वह मुसलमान हों या दूसरे लोग हों । मैं तो इसके लिए महकमे को बधाई देता हूं ।

दूसरी बात, जिस पर उन्होंने खास तौर पर एतराज किया, यह है कि उनको प्रापर्टी तो ए मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस सेक्शन के तहत महकमा यह अख्तियार ले रहा है कि ए प्रापर्टी के बजाये वह उसकी कीमत दे दे या कोई और प्रापर्टी दे दे। श्री सिंहासन सिंह का मेरी तरफ ध्यान नहीं है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह तो यू० पी० से आए हैं और शायद वहां पर यह सवाल ज्यादा न हो, लेकिन पंजाब में यह सवाल बहुत ज्यादा है ।

**श्री सिंहासन सिंह** : यह यू० पी० और पंजाब का सवाल नहीं है, यह इंसानियत का सवाल है ।

**श्री मू० चं० जैन** : माननीय सदस्य जरा मेरा जवाब सुन लें ।

हमारे यहां मुश्किल यह है कि महकमे वाले समझते हैं कि एक प्रापर्टी इवेकुई प्रापर्टी नहीं थी, लेकिन जो आदमी उस पर बैठ गया है, वह पचास किस्म का एतराज उठाता है, क्योंकि वह देखता है कि इस तरह वह प्रापर्टी मेरे कब्जे से निकल जायगी । महकमे ने यह एक प्रैक्टिकल हल निकाला है, ताकि वह डिस्प्लेस्ड पर्सन, जिसको वह प्रापर्टी एलाट हो गई, बिक गई या क्लेम में एडजस्ट हो गई, कोई एतराज न उठाए । वह समझेगा कि मुझे क्या, यह प्रापर्टी इवैकुई पूल से निकल जायेगी, तो निकल जाये । इससे पहले वह मामले को छः छः आठ आठ, दस दस बरस तक लम्बा करता था, क्योंकि अडर दि ला उसको एतराज करने का अख्तियार था और वह कस्टोडियन जनरल से कह सकता था कि यह बात है, वह बात है, वगैरह । मुझे पर्सनली कई केसिज का पता है, जिनमें डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज ने अपने इन्ट्रेस्ट में जिस प्रापर्टी पर वे बैठे हैं, उन पर काबिज रहने के लिए, जो कि मुसलमानों की या लोकल्ज की है, मामले को लम्बा किया । महकमा जो अख्तियार ले रहा है, उस से सहूलियत हो जायगी और डिस्प्लेस्ड पर्सन यह समझेगा कि मुझे क्या इन्ट्रेस्ट है, यह प्रापर्टी मेरे पास रहेगी और अगर महकमा पूल में से मुसलमान या लोकल को कोई प्रापर्टी देता है, तो बेशक दे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा । श्री सिंहासन सिंह मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे बड़े सीनियर मेम्बर हैं । उनको कोई गलतफहमी हुई है । इस महकमे ने अच्छा काम किया है और इसके लिये वह बधाई का पात्र है । यह कोई जमीर के खिलाफ़ बात नहीं है ।

**श्री सिंहासन सिंह**: किसी की प्रापर्टी को छीन लेना, क्या यह अच्छी बात है और बधाई की पात्र है ?

**श्री मू० चं० जैन** : प्रापर्टी नहीं छीनी जा रही है। करनाल में जमना के किनारे किनारे हजारों मुसलमान बसते हैं। गड़ बड़ में वे यू० पी० में चले गये। अब यहां आ कर वे अपनी प्रापर्टी लेना चाहते हैं। लेकिन वह एलाट हो गई है और उनको नहीं मिलती है, क्योंकि डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज इस में तरह तरह की रुकावटें डालते हैं और बरसों से ये केसिज चल रहे हैं। इस प्राविजन के बाद डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज का सैलफिश इन्ट्रेस्ट खत्म हो जायेगा। वे समझेंगे कि मेरी प्रापर्टी नहीं जायगी और इन को इसके बदले और प्रापर्टी मिल जायगी और मेरा पिन्ड छूट जायगा और अगर इवैकुई पूल से कोई प्रापर्टी निकलेगी, तो निकलने दो, वगैरह वगैरह।

**श्री सिंहासन सिंह** : जो डिग्री हो चुकी हैं, उन के खिलाफ मैंने कहा है।

**श्री मू० चं० जैन** : रेस्टोरेशन की डिग्री हो चुकी है। अगर वही प्रापर्टी रेस्टोर होती है तो जो डिस्प्लेस्ड पर्सन उस पर बैठा है, वह एतराज करता है। वह लड़ता है और छः छः बरस तक मामला जाता है। जब उस को यह पता लगेगा कि मेरी प्रापर्टी नहीं निकलेगी और इवैकुई पूल से और प्रापर्टी जायगी, जिस पर मैं काबिज नहीं हूं, तो वह लड़ाई छोड़ देगा और इस तरह इस समस्या की एक प्रैक्टिकल सैल्यूशन निकल आयेगी। गुड़गांव में हजारों मेव और मेरे जिले में हजारों मुसलमान तड़प रहे हैं, लेकिन उन को प्रापर्टी नहीं मिलती है। यह प्रैक्टिकल बात है। इस में जमीर की कोई बात नहीं है।

मेरे बुजुर्ग, पंडित ठाकुर दास भार्गव, ने कहा कि को-आपरेटिव सोसायटी की मारफत जो करजे दिए गए हैं, उनके बारे में जो प्राविजन किया गया है, वह बड़ी ज्यादती है। खन्ना साहब ने इस हाउस में यह क्लीयर कर दिया है कि रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की मारफत जो करजे दिए गए हों डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज को, सिर्फ वही कबर होंगे, और नहीं। उसके साथ साथ वे करजे, जो कि वे दे नहीं सकते, उन को उन के कम्पेन्सेशन में एडजस्ट कर दिया जाये, जो उन को उन के क्लेम्ज के बजाये मिलना था, तो क्या हर्ज है? मैं समझता हूं कि यह प्राविजन भी डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज के हक में है और उन के खिलाफ नहीं जाता है।

एक एतराज मेरे लायक दोस्त चौ० रणबीर सिंह ने किया कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज को तो फायदा हो जायगा, लेकिन को-आपरेटिव सोसायटीज को तो बीस फीसदी नुक्सान होगा। मैं नहीं समझता कि उन्होंने किस दलील पर यह बात कही। जो क्लेम एडजस्ट होगा, वहीं का वहीं को-आपरेटिव सोसायटी के एकाउंट में वह रुपया आ जायगा। नुक्सान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। शायद उन को कुछ ग़लतफ़हमी है।

कितने ही रेफयूजी थे, जिन्होंने अफसरान से साज-बाज कर के अपने हक से ज्यादा लैंड और प्रापर्टी लेली है। मुझे अफसोस होता है कि इस हाउस के कुछ मेम्बरान यहां पर खड़े हो कर ऐसे धोखेबाज रेफयूजियों और अफसरान, जिहोंने कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज के हुकूक पर छापा मारा, के हुकूक की हिफाजत के लिए, उन को सेफगार्ड करने के लिये यहां पर तकरीरें करते हैं। मि० चौधरी, आई० सी० एस० ने बड़ी मेहनत कर के यह पता लगाया कि इतने लाख एकड़ जमीन लोगों ने ग़लत तरीके से ले ली। उस जमीन के बारे में हमारा महकमा यह अख्तियार लेता है और उसके लिए पार्लियामेंट के सामने आता है, तो फिर भी कुछ मेम्बरान उस ग़लत तरीके से ली हुई जमीन के मालिकों की हिफाजत करें और कहें कि यह महकमा बड़ी ज्यादती कर रहा है, तो मुझे सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं हो सकता है।

**Shri Ajit Singh Sarhadi** (Ludhiana): On a point of clarification. That is absolutely wrong. The objection was to the method of assessment of damages under the Act.

**श्री मू० चं० जैन** : दोनों तरीके के एतराज किये गये । मैं इस वक्त मैथड आफ असेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं । मैं तो एक बुनियादी बात कह रहा हूं । जहां तक रायसिखों का सवाल है, महकमा इस वक्त सिर्फ रूल बनाने के अख्तियार ले रहा है । मैं उससे दरख्वास्त करूंगा कि जो भाई बार्डर पर बैठे हैं और खुद काश्त कर रहे हैं, उन का वह खास तौर पर ख्याल करे और अगर उन्होंने ज्यादा जमीन ली भी हो, तो भी उन पर किराया हस्ब-मामूल लिया जाये ।

**श्री अजित सिंह सरहदी** : उन से छः गुना लिया जा रहा है । उस का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है ।

**श्री मू० चं० जैन** : उन्होंने बहुत ज्यादा जमीन ली भी नहीं होगी । उन बेचारे रायसिखों की क्या मजाल है कि बीस पच्चीस लाख एकड़ फालतू जमीन लें । कहीं एक एकड़ और कहीं दो एकड़ जमीन उन्होंने ली होगी ।

**श्री प्र० सिं० बौलता** : पाकिस्तान में उन के पास थी ही नहीं । सारी ही बोगस है ।

**श्री मू० चं० जैन** : कल एक प्वांट यह उठाया गया कि हम अपने मैनेजिंग अफसरान, मैनेजिंग कार्पोरेशन को यह अख्तियार दे रहे हैं कि वह रेंट को असेस करें और उस में अपील की कोई इजाजत नहीं है । मैंने अमेंडमेंट्स देखी हैं कि सिविल कोर्ट्स को और डिस्ट्रिक्ट जज को अख्तियार दिया जाये । अगर सिविल कोर्ट्स को अख्तियार दिया जाये, तो सिविल कोर्ट और सेशन जज तो दो दो, चार चार साल तक मामले तय करने में लगायेंगे और हम दुहाई दे रहे हैं कि इस महकमे को वाइंड अप किया जाये । डिस्ट्रिक्ट जज तय करेगा और उसकी अपील होगी, इस तरह हम महकमे की उमर को लम्बा कर रहे हैं, या कम कर रहे हैं ? मैं समझता हूं कि महकमे के अफसरान को जो अख्तियार हैं, वे मुनासिब हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि अपील का अख्तियार होना चाहिये । अपील का अख्तियार तो पेयरेंट एक्ट की दफा २२ में पहले से ही मौजूद है और मैनेजिंग आफिसर और मैनेजिंग कार्पोरेशन के हर फैसले की अपील पहले से ही प्रोवाइडिड है और वह विदड्रा नहीं की गई है । ये जितने भी प्राविजन्ज हैं, मैं उन का स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं महकमे को और मिनिस्टर साहब को ।

जिसकी कसर मैंने महसूस की है, वह ऐसा मसला है, जिस के बारे में मैंने मिनिस्टर साहब को लिखा है और जबानी भी काफी बात-चीत की है । मुझे अफसोस है कि जब पेयरेंट एक्ट बना, तो उस वक्त इस महकमे के मिनिस्टर श्री अजित प्रसाद जैन थे .....

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : नान-पार्टी क्लेम्ज ?

**श्री मू० चं० जैन** : मिनिस्टर साहब ने एन्टीसिपेट भी कर लिया । हमारे देश में एक लाख ऐसे क्लेम हैं, जिन लोगों का कर्जा उन महाजरीन की तरफ था जो हिन्दुस्तान से चले गये । जो सिक्योर्ड कर्जा था, जो उन की जायदादों पर रहन था, वह तो महकमे ने दे दिया, लेकिन अनसिक्योर्ड कर्जों के बारे में महकमा कहता है कि वह कैसे उन की जिम्मेदारी ले सकता है । मुझे करनाल के हजारों केसिज का पता है कि अमीर मुसलमानों, नवाबजादों की लाखों करोड़ों रूपयों की प्रापर्टी इस वक्त करनाल में मौजूद है । नवाब

[श्री मू० चं० जैन]

ज़ादा लियाकत अली का कुनबा हमारे करनाल जिले का था। फ़र्ज़ किया कि उन के ज़िम्मे मेरे दस हज़ार रुपये थे वे अनसिक्योर्ड थे। वह मुझ से ज्यादा हैसियत के मालिक थे। मैं रहन कैसे कराता ? लेकिन आज महकमा कहता है कि वह सिक्योर्ड कर्जा नहीं है, हम कैसे ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। मैं खन्ना साहब की सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि आप ने उसकी एक करोड़ रुपये की प्रापर्टी पर कब्जा कर लिया, तो मेरे दस हज़ार रुपये आप क्यों हज़्म करना चाहते हैं।

**Shri Ajit Singh Sarhadi:** Subsequently they fabricated the pro?notes.

**श्री मू० चं० जैन**: मेरे लायक दोस्त श्री सरहदी जो कहते हैं, तो क्या महकमे के पास इतनी अक्ल भी नहीं है कि वह बोगस और नान-बोगस क्लेम के बारे में डिस्टिंक्शन कर सके।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव**: कपूरथला में इस बारे में तहकीकात की गई और दुरुस्त क्लेम्ज़ की फ़ेहरिस्त बनाई गई।

**श्री मू० चं० जैन**: महकमे ने खुद १९५३-५४ में ऐसे लोकल आदमियों से क्लेम इनवाइट किये। कोर्ट की डिग्री मौजूद है। उन्होंने स्टैम्प लगया। वे सारे के सारे क्लेम्ज़ रजिस्टर्ड हैं। मेरे एक सवाल के जवाब में मुझे बताया गया कि एक लाख ऐसे क्लेम हैं और चार करोड़ बनता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि चार करोड़ में से एक, दो, करोड़ तो दे, पचास लाख तो दे, कुछ तो दे। कुछ भी न देना तो जुल्म है। सरकार इस बारे में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। १९५४ में पेयरेंट एक्ट के बनते वक्त श्री अजित प्रसाद जैन ने इस हाउस में एशोरेंस दिया था कि आप बैफिक्र रहियै, गवर्नमेंट सोच रही है, वह इन्तज़ाम करेगी और जिन लोगों का कर्जा मुसलमानों की तरफ था, जिन की जायदाद सिक्योर्ड नहीं थी, उनके कर्ज़े की अदायगी का हम इन्तज़ाम करेंगे। वह एशोरेंस पार्लियामेंटरी डिबेट्स में लिखी हुई है। मैं माननीय मेम्बर का नाम भूल गया, जिन्होंने अमेन्डमेंट पेश की थी। क्या यह मुनासिब है कि सरकार, जिस के मिनिस्टर ने इस हाउस में यकीन दिलाया था, इस बारे में बिल्कुल इन्तज़ाम नहीं करेगी। मुझ से यह कहा गया कि इवैकुई पूल से रुपया कहां से निकालें।

मैं छः बरस से सैंट्रल मिनिस्ट्री को लिखता आ रहा हूं कि हमारे रोहतक, करनाल हिसार, इत्यादि जिलों में मुसलमानों के प्लाट पड़े हुये हैं जिन पर कि लोकल आदमियों ने कब्जा कर रखा है, मकान पड़े हुए हैं, जिन पर लोकल्स ने कब्जा कर रखा है और अगर उनको नीलाम किया जाए तो करोड़ों रुपया आपको मिल सकता है .....

**श्री मेहर चन्द खन्ना**: लोग इसके खिलाफ हैं।

**श्री मू० चं० जैन**: वे खिलाफ़ हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। आपने नीलामी शुरू कर दी है, मुझे खुशी है। उससे आपको करोड़ों रुपया मिलेगा। आप यह रुपया जो ले रहे हैं ऐसे क्लेमेंट्स को दें जिन के क्लेम रजिस्टर्ड हैं।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक तरफ तो इवैक्वी प्रापर्टी के तहत यह कानून बना दिया गया कि किसी लोकल आदमी की कर्ज़े के बदले मुसलमानों की जायदाद, इवैक्वी प्रापर्टी, कुर्क नहीं हो सकेगी, अटैच नहीं हो सकेगी, वार्ड होगी, और दूसरी तरफ इस तरह से कटौती करके डिसप्लेस्ड परसंस के क्लेम्स में से कम रुपया दिया गया है। मैं नहीं कहता कि आप सारे का सारा रुपया दे दें। मैं यह नहीं कहता कि चार का चार करोड़ आप दे दें। जिन का ज्यादा है उसमें आप ज्यादा की कटौती कर

सकते हैं, जिनका कम है उन में से कम की कटौती कर सकते हैं। अगर आप ने ऐसा किया, अगर रिहैबिलिटेशन के महकमे ने सब को एक नज़र से देखा, सब के साथ इंसाफ किया तभी इसकी तारीफ होगी वर्ना नहीं और इसको चाहिये कि सब को एक नज़र से देखे।

**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय :

**उपाध्यक्ष महोदय** : दिल्ली बहुत बोल चुका है —

**श्री राधा रमण** : क्या यह चीज़ मेरे ही ऊपर लागू होती है। मुझे भी पांच-दस मिनट का वक्त दे दीजिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब कटौती हर जगह चल रही है तो आप पर क्यों न चले।

**श्री राधा रमण** : पांच दस मिनट दे दीजिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

**श्री राधा रमण** : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक संशोधन के रूप में आया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इसको शुरू से आखिर तक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यह बड़ा आवश्यक था और तजुर्बे ने मिनिस्टर साहब को इस बात के लिए मजबूर किया कि इस किस्म के संशोधन को यहां लाया जाए।

बहुत सी बातों पर यहां पर वाद-विवाद हुआ है और यहां पर ऐसे प्वाइंट्स रखे गये हैं जिन को अगर समझने की कोशिश की जाए तो ऐसा लगता है कि वे सही हैं। लेकिन अगर उनको इस बिल की प्राविज़ंस की रोशनी में पढ़ा जाए और देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें कुछ ज्यादा तत्व नहीं है।

सब से पहली बात यह कही गई है कि बहुत से डिसप्लेस्ड परसंस की ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ हैं कि जिन को सरकार ने बड़े बड़े कर्ज़ दिए हैं और उनको कर्ज़ देकर बनाया है। उनसे वे पनपी और उनके मैम्बर्स ने वहां से कर्जे लिए और अपना काम चलाया। आज जबकि वे सोसाइटीज़ मरकज़ी सरकार से लिए हुये कर्ज़ को वापिस ले सकती हैं तो लें और साथ ही साथ अपने मैम्बर्स से कर्जे वापिस लेकर सरकार को दें। इस बिल में सरकार ने यह मुनासिब समझा है कि ऐसे सब कर्जाजात जो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को दिए गये थे वे कर्जाजात सरकार को वापिस मिलें। और उन कर्जों को वसूल करने के लिए उसके पास ताकत हो तो मुझे इसके अन्दर कोई बेवाजिब बात नज़र नहीं आती है। अगर आप चाहते हैं कि उस कर्ज़ को सरकार वसूल न करे और जिन जिन सोसाइटीज़ को दे दिए गये हैं वे ग्रांट के तौर पर समझ लिये जाएं तो यह मेरी समझ में वाजिब नहीं लगता है और यह चीज़ साफ हो जानी चाहिये। जो कर्जा था वह कर्जा ही रहेगा और अगर वह ग्रांट थी तो ग्रांट रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि मरकज़ी सरकार ने या राज्य सरकारों ने कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को कुछ काम चलाने के लिए कुछ रुपया ग्रांट के तौर पर दिया हो और उनको वसूल करने का सरकार को कोई हक़ नहीं है और वे उनके पास रहते हैं लेकिन जो कर्ज़ के तौर पर रुपये दिए गए हैं उनके बारे में अगर सरकार यह समझ ले कि हमें अल्टीमेटली उनको राइट आफ करना है तो मैं समझता हूं यह बेवाजिब बात होगी और अगर वे सोसाइटीज़ उस कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहती हैं इस तरीके से कि उन मैम्बरों को जिन को कि फायदा पहुंचाने के लिए कर्जे दिए गए हैं उनको मरकज़ी सरकार वापिस न ले तो यह भी मुनासिब बात नहीं है। इस वास्ते मैं इस बिल की इस प्राविज़ का स्वागत करता हूं।

[श्री राधा रमण]

मैंने अपने बुजुर्ग पंडित ठाकुरदास भार्गव जी की आर्गुमेंट्स को सुना है जिसमें कि उन्होंने यह कहा है कि उनको पब्लिक ड्यूज नहीं माना जाना चाहिए । मैं नहीं समझता कि क्यों उनको पब्लिक ड्यूज न माना जाए । जब कर्ज इस शर्त पर दिये गये थे कि उनको वापिस किया जाएगा तो क्यों न उनको पब्लिक ड्यूज माना जाए । उन्होंने अगर मेम्बर्स को कर्ज दिए हैं तो वह वसूल करेगी और अगर वसूल नहीं कर सकती है तो उस कर्ज को ऐसे ही समझना चाहिए जैसे सरकार ने डायरेक्ट दिया है ।

दूसरी बात रेस्टोरेशन के बारे में कही गई है । बहुत सी ऐसी प्रापर्टी है जो कि चाहे मुस्लिम की थी, चाहे नान-मुस्लिम की थी और उसके बारे में आज ऐसा महसूस किया जाता है कि वाकई में जिनकी वह प्रापर्टी थी वह कभी पाकिस्तान नहीं गए और उनको उस प्रापर्टी की मिलकियत के पूरे अख्तयारात हासिल थे और इतना समय बीत जाने के बाद भी उनके हक को तसलीम किया जाए । यह भी कहा गया है कि अगर वह रेस्टोर नहीं हो सकती है तो इसका मुआवजा देने में कुछ और तरीके काम में लिये जायेंगे मगर यह चीज कुछ और शक्ल अख्तयार कर सकती है । यह एक पेचीदा मसला है और इस पर गौर करने की जरूरत है । मैं महसूस करता हूं कि सरकार की दिक्कतें इस मामले में हो सकती हैं । ऐसी प्रापर्टी जो कि इवैक्वी डिक्लेयर प्रापर्टी कर दी गई थी और वह आज से नहीं बल्कि बारह बरस से किसी डिसप्लेस्ड परसन के पास है या मान लीजिये किसी नान-डिस्पलेस्ड परसन के पास है, या किसी ने उसको खरीद लिया है, या क्लेम देकर ले लिया है, उस प्रापर्टी के बारे में जब यह फैसला हो जाता है कि वाकई में उसका मालिक यहीं रहा और इसको इवैक्वी प्रापर्टी डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिये था, उसका मालिक जो था, वही उसका मालिक बना रहना चाहिए तो इस में कुछ दिक्कत की बात आ जाती है । लेकिन जहां तक फेयरनेस और जस्टिस का ताल्लुक है, वह माना जाना चाहिए और इस में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए मगर जिनको उस प्रापर्टी को वापिस देना है और जिन लोगों के पास वह इस वक्त है उन से उसको वापिस लेना है, यह एक बहुत मुश्किल सा काम है और इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद भी हमें यह देखना होगा कि जो असली मालिक उस प्रापर्टी का है वह क्या चाहता है । अगर वह कहता है कि मैं इस प्रापर्टी की मिलकियत को बराबर कायम रखना चाहता हूं और आपने उसको अगर रिलीज भी कर दिया है तो भी कोई वजह नहीं है कि आप कानूनन उसको उसका हक न दें कि उसकी मिलकियत बरकरार रहे । उस प्रापर्टी का वह किराया ले सकता है या उसका मालिक बना रह कर वह वहां पर रहने वाले को टेनेंट तसलीम कर सकता है । इस में कोई दिक्कत की बात मुझे नजर नहीं आती है । मैं इस के हक में हूं कि ऐसी प्रापर्टी के बारे में जिस के मालिक यहीं रहे, कभी पाकिस्तान नहीं गए अगर आज वे क्लेम करते हैं कि उनकी प्रापर्टी उनको वापिस मिलनी चाहिए तो उनका यह क्लेम करना सही है और उनको फैसला करने का अख्त्यार होना चाहिए कि वे उस प्रापर्टी को वापिस लेना चाहते हैं या नहीं । लेकिन अगर सरकार कब्जा नहीं दिला सकती है, हजारों किस्म की दिक्कतें उसके रास्ते में हो सकती हैं, तो जो आल्टरनेटिव कानून में दिए गए हैं या जो आल्टरनेटिव सोचे जाने चाहिये कि ले उनको मंजूर करने को तैयार हो जाएं । अगर कोई मालिक बना रहना चाहता है तो उसको मजबूर करना कि क्योंकि उसकी प्रापर्टी गलती से इवैक्वी प्रापर्टी करार दे

दी गई थी वे मुआवजा जैसा हम मुनासिब समझेंगे देंगे और वह लेगा मैं समझता हूं कि यह गैर-मुनासिब है । यह हक उसको मिलना चाहिए जिसकी प्रापर्टी थी वही वह फैसला करे कि वह क्या चाहता है और अगर जो शर्तें सरकार सामने रखती है, उसको वह मंजूर कर लेता है तो सब बात ठीक हो जाती है लेकिन अगर वह मंजूर नहीं करता है और महसूस करता है कि सरकार उस प्रापर्टी को अब भी उसे वापिस दे तो कोई वजह नहीं है कि वह प्रापर्टी उसको वापिस न दी जाए और उसका उसको मालिक न बनाया जाय । अगर कहीं पर कोई टेनेंट के तौर पर रह रहा है और उसको वह आदमी जिसकी वह प्रापर्टी है मंजूर कर लेता है तो ऐसा करना और सरकार को भी इसको मान लेना कोई गैर-वाजिब बात नहीं होगी ।

इसमें यह भी लिखा हुआ है कि बहुत से लोगों ने अनआथोराइज्ड और मैल-प्रेक्टिसिस से, सरकारी मुलाजमों से मिल करके या खुद जिन जायदादों पर कब्जा कर लिया है उन्हें दंड दिया जाय । मैं एडवाइजरी बोर्ड और डिसप्लेस्ड परसन्स के डिपार्टमेंट से कुछ वास्ता रखता हूं । मैं बता सकता हूं कि यह एक हकीकत है । यह बयान करना जरूरी भी है कि बहुत से लोगों ने कई मकानों पर कब्जा किया था अफरा-तफरी में जो उनका हक था उस से ज्यादा हासिल कर लिया, एक की जगह दो दो प्रापर्टीज ले ली और, वे किसी न किसी तरह से किसी के साथ मिल कर अभी तक अपना काम चला रहे हैं । आज अगर १२ बरस के बाद यह महसूस किया जाता है कि उन्होंने कोई गैर-कानूनी या गलत काम किया है और उसको इसकी सजा होनी चाहिए या उस से जगह वापिस ली जानी चाहिए तो मैं समझता हूं कि उसके साथ किसी किस्म की हमदर्दी नहीं दिखाई जानी चाहिए । उनकी हिमायत नहीं की जानी चाहिये । लेकिन ऐसे केसेज में जिन में कि १०–१२ बरस तक एक आदमी अनआथोराइज्ड किसी प्रापर्टी पर काबिज रहा है या उसने एक के बजाय दो प्रापर्टीज ले ली हैं उसके वास्ते जो भी कानून बनना चाहिए प्रापर्टी को वापिस लेने का या उसको सजा देने का वह ऐसा जरूर बनना चाहिए कि जो प्रेक्टिकल हो, जो रीयेलिटीज पर बेस्ड हो । ऐसे मामले में अगर आप यह करें कि आप उस आदमी का भी पता लगायें कि किसने वहां जाने की इजाजत उसको दी थी । अगर आपके दिमाग में यह फैसला हो गया कि वाकई उसने गलती की थी और सरकारी मुलाजिम के जुम्मेदारी न थी तो उसके साथ जो आपका तरीका होना चाहिये वह ऐसा होना चाहिये कि जो शख्स उस वक्त जायदाद से काम ले चुका है, और जिसने अपने आप को इस्टैब्लिश किया है, उसको बिल्कुल खत्म करके फिर से डिस्प्लेस्ड पर्सन न बना दें क्योंकि मैं समझता हूं कि जितनी उस आदमी ने गलती की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी अमले वालों की है । हमें उसको भी सजा देनी चाहिये कि जिसने इतनी रिस्पांसिबिलिटी रखते हुये उस आदमी को इस काबिल बनाया कि वह गलत काम कर सके और उसका पता १० या १२ साल तक किसी को न लगने दिया । पता तो लगा है। लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया, उसमें शरारत उस अमले की हुई कि वह अमला और वह अनआथोराइज्ड आदमी दोनों मिल कर १०, १२ वर्ष तक उस काम को चलाते रहे । यहां डिस्प्लेस्ड पर्सन का सवाल नहीं है । ऐसे बहुत से अनासिर मुल्क में हैं जो गैर-कानूनी काम करते हैं अमले से मिल-कर, और उनका पता सरकार नहीं लगा पाती । वर्षों तक वह काम करते रहते हैं । जिस शख्स ने हजार, पन्द्रह सौ रुपयां अमले को देकर अपने को अनआथोराइज्ड जगह पर बैठने के काबिल बना लिया, उस शख्स ने जुर्म जरूर किया है और उसको आप सजा भी देते हैं, जो किसी बेबसी और बेकसी के अन्दर कोई काम कर लेता है, लेकिन आप अमले को कोई सजा नहीं देते । जिस आदमी

[श्री राघा रमण]

ने गलत काम किया मैं उसकी हिमायत नहीं करना चाहता, उसे सजा भी मिलनी चाहिये, लेकिन अगर वह सजा उसी हद तक महदूद रहती है और उस सरकारी मुलाजिम पर, जिसने जिम्मेदारी से काम नहीं किया, कोई सजा आयद नहीं होती तो यह बिल्कुल गैर-वाजिब लगता है । मैं समझता हूं कि सजा उस मुलाजिम को मिलनी चाहिये, सिर्फ उस आदमी को ही जिस ने कि गलत काम किया, जो कि उसे नहीं करना चाहिये था । इसलिये मैं निहायत अदब से अपने वजीर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि जो कानून आप यहां रख रहे हैं उसमें आपको खास तौर पर यह देखना चाहिये कि जिस शक्स को आप बेदखल करते हैं उसके गलत काम की वजह से, उसको आप भले ही सजा दें, उससे आप भले ही डैमेजेज चार्ज करें, उस के ऊपर तावान लगायें, लेकिन वह तावान ऐसा होना चाहिये जो कि उसको बिल्कुल उखाड़ कर फेंक न दे, और उसने जो कमाया है वह सब बरबाद न हो जाय, और जिस अमले के ऊपर जिम्मेदारी थी उसको भी गुंजाइश न दें कि पैसा खाकर वह ऐसे काम करने पर आमादा हो जाय और बिल्कुल छूट जाय और उसके ऊपर किसी किस्म का हर्फ न आने पाये ।

आखिरी बात जो कही गई, उसकी तरफ मैं समझता हूं कि हमारे वजीर साहब की तवज्जह गई होगी । वह नानपार्टी क्लेम के बारे में है। मैं समझता हूं कि वह बहुत अच्छी बात है, मुनासिब बात है अगर उसे आप एक अमेंडमेंट के जरिये कर रहे हैं कि वह चीज इसमें डाल दी जाय तो वह बहुत मुनासिब बात होगी । जिन लोगों के पास हजारों लाखों रुपयों की जायदाद थी, जो यहां से कर्जे लेकर चले गये और वह अनसिक्योर्ड थे । किसी को खबर नहीं थी कि ऐसी हालत हो जायेगी । अगर आज इस किस्म का कुछ रुपया मौजूद है और उनकी तरफ वाजिब है जो कि यहां से चले गये हैं तो उसका कंसिडरेशन जरूर होना चाहिये । यह बहुत मुनासिब है, और मुनासिब होगा अगर मिनिस्टर साहब उसकी तरफ तवज्जह दें ।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता । मैं इस बिल की हिमायत करता हूं और जो चन्द खयालात मेरे दिमाग में थे वह मैंने जनाब के सामने रखे । मुझे उम्मीद है कि वजीर साहब उन की तरफ ध्यान देंगे और जिन संशोधनों से कानून बेहतर बनता है उनको मंजूर करें ।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कल भी हाउस में बहस हुई और आज भी । बहुत से मेम्बर साहबान ने अपने खयालात का इजहार किया, किसी ने हक में कहा, किसी ने बखिलाफ कहा । लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कहा गया, इस खयाल से कहा गया कि अगर मेरी कुछ कमजोरियां हैं, मेरे महकमे की कमजोरियां हैं, मेरे अफसरों की कमजोरियां हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाया जाय ताकि उन कमजोरियों को दूर किया जाय, और मुझे याददहानी कराई गई कि तुम्हारा महकमा तो शरणार्थियों का महकमा है, उन को बसाने का महकमा है, कोशिश यह होनी चाहिये कि उनको तकलीफ न हो । तो मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं ।

आप देखेंगे कि जो भी आपने खयालात जाहिर किये, उन में बहुत सी चीजें तो ऐसी थीं जिनका इस बिल के साथ ताल्लुक था और बहुत सी चीजें ऐसी थीं कि जिनका इस बिल के साथ दूर से भी वास्ता नहीं पड़ता था । खैर, उनको भी मैं देखूंगा ।

असल में मेरा महकमा है जिस में बहुत से शरणार्थी भाई हैं, यह एक ऐसा महकमा है जिस से लोगों का बहुत वास्ता पड़ता है । कोई

दिन नहीं गुजरता कि अपने ऐवान के मोअज्जिज भाइयों की काफी तादाद में चिट्ठियां न आती हों। कोशिश तो यह करता हूं कि जो भी चिट्ठी आये, उस को देखूं और अगर कानून के तरीके से उस में कुछ रास्ता निकाल सकता हूं तो उस भाई की मदद कर सकूं । यह जो भाई सिफारिश कर रहा है वह इस खयाल से कि उसका भाई है वजीर और उस पर जोर डाल रहा है । मैं कोशिश यह करता हूं कि जो कुछ भी हो सके करूं । लेकिन बाज-औकात हालात ऐसे होते है कि कानून के दायरे से इन्सान बाहर नहीं जा सकता । इसी ऐवान में सवालों का जवाब देना पड़ता है, रेजोल्यूशन्स आते हैं। आपने खुद देखा होगा कि आज आप के सामने दो बिल्कुल अपोजिट प्यूज आये । एक भाई ने शरणार्थी के नाते से उठ कर यह कहा कि तुम शरणार्थियों को तो आबाद करते हो, लेकिन जो पाकिस्तान में ज्यादा दौलतमन्द था उस को और ज्यादा दौलतमन्द कर रहे हो । दूसरा भाई यह कहता है कि जो हिन्दुस्तान का नागरिक है, आज तुम यह कह रहे हो कि जो घर उस का था, आज उससे छीन ही नहीं रहे हो बल्कि कानून से करार देते हो कि वह मकान का मालिक है तो भी उसका मकान वापस नहीं किया जायेगा । तो मैंने कहा था कि ऐसी चीजों में जहां इन्सान को इन्सान से वास्ता पड़ता है, तकलीफ जरा ज्यादा हो जाती है । मकान का मामला हो, सीमेंट का मामला हो, लोहे का मामला हो, चीनी का मामला हो, वह तो मेरे भाई चौ० रणवीर सिंह के पास पहुंचते ही पहुंचेगा । लेकिन मेरा खिर्की का भाई है , क्वासी परमानेन्ट स्कीम दिल्ली में लागू न भी होतो हो तो भी वह कहता है कि यह जो इलाका है वह देहात का है शहर का नहीं, इसलिये उस की कीमत २ रु० गज के बजाय ४५० रु० फी एकड़ के हिसाब से लगाओ । अब मुझे यह सोचना है कि अगर आज मैं उस जमीन को बेचता हूं बाजार में तो वह बिकती है ५ रु० गज, जो कि तकरीबन २५ हजार रु० एकड़ बनता है । उसके लिये खिर्की का भाई कहता है कि मैं ४५० रु० एकड़ में दे दूं । मुझे यही डर रहता है कि क्योंकि मिनिस्टर तो हुआ अपनी पार्टी का मेम्बर, अभी भी है, लोगों की मेहरबानी से आज तक अपने औहदे पर भी रहा है । उस बेचारे को तो कह दिया कि तुम तो बड़े शरीफ आदमी हो, लेकिन तुम्हारा अमला सारा बेईमान है । सारा कहा, थोड़ा कहा, काफी मेरे अमले पर हमला हुआ । तो मैं नहीं चाहता कि कल ऐसी बात भी हो जाये कि मेरे अपने भाइयों को, जो कि इस तरफ बैठे हुए हैं, कुछ कहने का मौका मिल जाये । शायद आप ने देखा होगा कि नुक्ताचीनी बहुत ज्यादा इसी तरफ से हुई । हमारे भाई जो सामने बैठे हैं वह तो दिलचस्पी रखते नहीं, एक जिस भाई ने दिलचस्पी भी ली है, कुछ अपना किस्सा रोया और कुछ मेरा किस्सा रोया । तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जनाब की खिदमत में कि मेरे पास एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है । आप देखिए कि ६०–७० लाख एकड़ जमीन, तीन चार लाख देहाती मकान, १०० करोड़ रुपए की शहरी जायदाद, ५०–६० करोड़ रुपए की गवर्नमेंट की जायदाद बनी हुई और २५-३० करोड़ रुपया । बहुत भारी जिम्मेदारी है । इस में कोई शक नहीं है कि अगर यह कह दिया जाए कि मेरा अमला १०० पर सेंट दयानतदार है तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं । मैं तसलीम करता हूं कि खामियां हैं लेकिन मैं यह फख्र से कह सकता हूं कि मेरे पास इतनी ज्यादा प्रापर्टी होते हुए भी काम अच्छा ही हुआ है । आज से तीन चार साल पहले जब मैं ने इस हाउस में यह ऐलान किया था कि मैं हर साल एक लाख भाइयों को क्लेम दिलाने की कोशिश करूंगा, तो कुछ भाई हंसे थे, कहने लगे कि सात आठ बरस गुजर गए और तीन चार दस बरस गुजर जायेंगे । लेकिन मेरे अफसरों ने बहुत तनदही से काम किया, जांफिशानी से काम किया । जनाब वाला, आप जानते हैं कि जो दुःखी जैसलमेर हाउस में आता है, जो दुःखी

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

साथ वाली बिल्डिंग में जहां मेरे अफसर साहिबान काम करते हैं वहां आते हैं, वह बाज औकात तो अकेले आते हैं और बाज औकात जलूस लेकर आते हैं और जो गौहर अफशानी होती है, मेरे भाई जो सामने बैठे हैं जानते हैं। तो उन अफसरान ने इन ११–१२ बरस में जिस कदर तनदेही से काम किया है उसके लिए मैं सोचता था कि ऐवान के सामने आकर अर्ज करूंगा कि जिस तरह से आप मिनिस्टर के लिए कहते हैं उनके लिए भी दो शब्द कह दें। लेकिन मुझे अफसोस है कि उनके लिए आज ऐसी बातें कहीं गयीं जो कि दुरुस्त नहीं है।

इस बिल में तीन चार पांच चीजें हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि या तो मेरे भाइयों ने उनको समझा नहीं है या कुछ ऐसी हालत है कि जो भी चीज इस मिनिस्ट्री की तरफ से आवे उसको शक की निगाह से देखा जाए। जनाब वाला, कल मुझे अपने दोस्त से यह सुन कर बड़ी खुशी हुई कि वह भी शरणार्थी है। उन्होंने क्लेम लिया मैं तो आज तक समझता था कि वह रिवाड़ी के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ में प्रेक्टिस करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे एक भाई ऐसे भी हैं जो यहां रहते हुए भी शरणार्थी हैं और मुझ से क्लेम लेने के हकदार हैं।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कोआपरेटिव सोसाटीइज के मुताल्लिक। मैं ने तो बहुत अच्छी बात की थी। श्री मूल चन्द ने काफी कुछ इस बारे में कहा और श्री राधा रमण ने भी कुछ रोशनी उस पर डाली। अफसोस है कि मेरे मुअज्जिज दोस्त जिनकी राय की मैं बहुत कद्र करता हूं उन्होंने जो ईसके मुताल्लिक कहा उस स मालूम होता है कि उन्होंने इसको समझा नहीं। कल मैंने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा था कि हमने बहुत से भाइयों को जो कि शरणार्थी हैं कर्ज दिए। आप जयपुर की मिसाल ले लीजिए। जयपुर में दो तीन सोसाइटीज हैं जिनको कि शरणार्थी भाइयों ने बनाया है जिन में सिन्धी भाई हैं और पंजाबी भाई हैं। उन्होंने हमसे लोन लिया और लोन लेने के बाद उन्होंन अपने मकानात बनाए और अपनी खूबसूरत कालोनीज बनायीं। इस तरह की कुछ सोसाइटियां पंजाब में और यू० पी० में भी हैं। अब जो पहले डेफीनीशन हुई पबलिक ड्यूज की, उस में यह रखा गया कि जो कर्जा सरदार अजित सिंह ने लिया हो, चाहे अपने मकान के लिये जाती हैसियत में वह कर्जा लिया हो, तो वह पल्लिक ड्यू है और सरदार अजित सिंह को हक है कि उनको जो क्लेम लेना है उस में उसको एडजस्ट करवा लें। यही नहीं किसी और का स्टेटमेंट आफ एकाउंट लेकर वह फैसला करवाना चाहें तो करवा लें। लेकिन दस शरणार्थी भाइयों ने अगर मुझ से कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिए से लोन लिया थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, तो वह सिर्फ कहते हैं कि आपने शुरू में कहा था कि हाउसिंग सोसाइटीज बनें, हाउसिंग कालोनीज बनें, प्राइवेट एंटरप्राइज हो।

**15 hrs.**

लेकिन आज तुम कह रहे हो कि हमारा कर्जा तो पूरा रहेगा, सूद हमारा आखिरी दिन तक चलेगा और आज एक करोड़ रुपया आप मुझ से नकद मांगते हैं। वह लोग यह कहते हैं। वह लोग कहते हैं कि हमने एक करोड़ रुपया के करीब कोआपरेटिव सोसाइटीज को कर्ज दिया, शरणार्थियों को दिया, बाहर का कोई आदमी नहीं था। मुझे राय मिलती है जनाबवाला, मैं किसी मिनिस्ट्री का जिक्र नहीं करना चाहता—कि यह रुपया जिस मुआहिदे के नीचे लिया गया है वह वैसे ही कैश वापस आना चाहिए

गवर्नमेंट की रेवेन्यूज में । आप जानते हैं कि ५०–६० करोड़ रुपया के करीब प्रायरिटी कैटेगरीज के नीचे नकद दिया गया है । मेरे पास तो पैसा था नहीं । मेरे पास तो जायदाद थी, जायदाद का किराया था, कर्जा था, सूद था, वह तमाम शरणार्थियों के पास था । यह जो ५०–६० करोड़ रुपया नकद दिया गया प्रायारिटी कैटेगरीज में कुछ हमने वसूल किया, लेकिन एक बड़ी भारी रकम नेशनल रेवेन्यूज से ली गयी । यह श्री देशमुख के वक्त में हुआ था और मैं इस मामले में उनका मशकूर रहूंगा । फाइनेन्स मिनिस्ट्री वाले दुरुस्त तरीके पर यह कह सकते हैं कि अगर ६ करोड़ रुपया आर० एफ० ए० का किसी आदमी को आर० एफ० ए० रूल्स के नीचे दिया गया है, चाहे पचास हजार हो, चाहे लाख हो या बीस हजार हो, वह रुपया नकद लेकर वापस करो और हम सूद नहीं माफ करेंगे, क्यों माफ करें और उसको हाइएस्ट प्रायरिटी क्यों दें । एक बहिन अगर बेवा हो जाती है, एक बच्चा अगर यतीम हो जाता है तो उसको मैं आठ हजार से ज्यादा नहीं दे सकता । लेकिन जिस भाई ने बीस या ५० हजार रुपया आर० एफ० ए० से लिया उस के लिए मैं ने कोशिश की कि उसको नकद वसूल न कर के पबलिक ड्यूज के नीचे एडजस्ट किया जाए । तो यह भाई कहते हैं कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं । तो जनाब वाला, अगर ऐवान की यह राय है और शरणार्थी से इतना ही प्यार है कि मैं उस से एक करोड़ रुपया नकद व मय सूद के वसूल करूं तो मुझे बतौर वजीर के तो दुःख होगा कि क्योंकि मैं इस सवाल का जबाब नहीं दे सकूंगा कि जहां दिल्ली में एक भाई मकान लेता है दस साल के इंस्टालमेंट पर, उसका तो तुम रुपया बतौर पबलिक ड्यूज के क्लेम में एडजस्ट करते हो या दूसरे के क्लेम में एडजस्ट करते हो, लेकिन मेरे पास जो रुपया है वह नकद लेना चाहते हो । मेरा तो यह खयाल था कि हाउस उसके लिए मेरी कुछ सराहना करेगा, लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर बात उल्टी की जाती है । जनाबे वाला, आप जानते हैं कि रुपया वसूल करने के बारे में गवर्नमेंट का क्या तरीका है । स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा पैसा वसूल कर सकती है ब मय सूद के और अगर आज मैं उसको पब्लिक ड्यूज करार दूं और उसका सूद रेमिट करूं किसी खास डेट से, तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा । मुझे अफ़सोस हुआ यह सुन कर कि इन्सान बाज-औकात कुछ ऐसे ख्याल में पड़ जाता है कि चूंकि एक भाई की एक बात खराब लगी, तो सारी की सारी खराब लग जाती है । मैं जानता हूं कि ऐवान इस बात पर मेरा साथ देगा और कहेगा कि मैं इस को पब्लिक ड्यूज करार दूं और उस आदमी को फ़ैसिलिटी दूं जो कि अपने क्लेम या किसी के क्लेम में एडजस्ट कर सकता है । उसको सहूलियत मिलनी चाहिए ।

जनाबे वाला, दूसरी ग़लती जो मैं ने की, मेरी समझ में नहीं आता कि उस के लिए मुझे क्यों बुरा कहा जाता है । हम अपने आप को सैकुलर स्टेट कहते हैं । अभी सुभद्रा बहन ने कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि अगर गवर्नमेंट किसी की चीज नाजायज तौर पर लेती है, तो वह गवर्नमेंट चोर है । उन्होंने रेफ़यूजियों का जिक्र नहीं किया था, जो कि सुभद्रा बहन ने किया । इस महकमे में शुरू में वेस्टिंग हुआ और वह बड़ी भारी तादाद में हुआ । कोहराम था, हल्ला था, लाखों की तादाद में लोग आए और उसके बाद दफ़ा १६ के नीचे एक आदमी को यह दरख्वास्त देने की इजाजत हुई । उस इजाजत के नीचे हम उस का केस देखते हैं और अगर उस के बाद हमारा यह यकीन हो जाता है कि वह हकदार है और हम ने जो कार्रवाई की है, वह नाजायज है, ग़लत है और अख्लाकन नादुरुस्त है, तो हम उस का मकान वापस कर देते हैं और ऐसा कर के हम उस पर कोई एहसान नहीं करते हैं । पहले हम ने उसका

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

मकान लिया और दो, चार पांच बरस तक वह कस्टोडियन, मेनेजिंग आफ़िसर वगैरह के पास रहा । आप जानते हैं कि वह करना पड़ा और हम ने किया और मैं खुश हूं कि मैं ने किया । मैं उस को अपना फ़र्ज़ समझता हूं । मैं ने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि अगर पूल को खसरा होता है, तो मैं जवाहरलाल जी के सामने जाऊंगा, मोरारजी भाई के सामने जाऊंगा और झोली डाल कर कहूंगा शरणार्थी भाइयों के लिए एक, दो, चार करोड़ रुपया और दो, लेकिन यह ग़लत है कि हिन्दुस्तान के एक नागरिक का मकान मैं इसलिए ले लूं, क्योंकि उस के पास आज यह पोज़ीशन नहीं है कि वह दाद-रसाई कर सके । यह बहुत ग़लत बात है । जैसा कि श्री मूल चन्द जैन ने कहा है, जब यहां मेवों का किस्सा आया, और उनको बड़ी भारी तादाद में जायदाद वापस करनी पड़ी, तो शरणार्थी एक बड़ी भारी तादाद में अलवर और भरतपुर में बस चुके थे । तब इस ऐवान ने मुझे यह पावर दी कि पहले तो कोशिश करो कि उन मेवों को अपनी जमीन वापस मिले और अगर ज़मीन वापस नहीं दे सकते, तो उसके एवज़ में कोई दूसरी ज़मीन दो, पैसा दो, ज़मीन और पैसा दोनों दो, लेकिन देखो कि बे-इन्साफी न हो । आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि जो मौजूदा कानून है, उस की दफ़ा १६ के नीचे उस आदमी को हक है, जिसको निकासी करार दिया गया है, या जिसकी जायदाद निकासी करार दी गई है, कि वह दरख्वास्त करे, लेकिन क्या कुछ नहीं हो सकता है इन हालात में । हुआ यह कि मैंने समझा, या मेरे महकमे ने समझा कि बल्लीमारां के मुहल्ले में मकान नम्बर ७० दीन मुहम्मद का है और दीन मुहम्मद निकासी है और पाकिस्तान जा चुका है । हमने उस मकान को निकासी करार दे दिया और अब उसमें रह रहा है रहमत दीन । जब हमने नीलाम करने के लिए एडवरटाइज़ किया और रहमत दीन ने उसको पढ़ा और कहा कि यह मेरा मकान है, मैं पाकिस्तान नहीं गया, मैं हिन्दुस्तान का नागरिक हूं, म्युनिसिपल टैक्सिज़ देता हूं, मेरे बेटे की फलां दिन शादी हुई, मेरी मां बाप की मौत फलां दिन हुई । मौलाना हिफ़्ज़ुलरहमान और मौलाना अहमद सईद, इस सिलसिले में मेरे पास आए । तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि यह मकान रहमत दीन का है, दीन मुहम्मद का नहीं है, जो पाकिस्तान चला गया है । अब दफ़ा १६ के नीचे वही आदमी दरख्वास्त दे सकता है, जो कि निकासी करार दे दिया गया हो, या उसका वारिस दरख्वास्त दे सकता है, लेकिन जहां तक रहमत दीन का ताल्लुक है वह दरख्वास्त नहीं दे सकता है । हमने दफा २७ को क्रीएट किया और उसके तहत हमने कस्टोडियन जनरल को इजाज़त दी । कस्टोडियन जनरल की जो तकलीफ है, वह मैंने आप के सामने बिल में पेश की है । वह समझता है कि यह आदमी निकासी नहीं है । वह जानता है कि इस की जायदाद निकासी नहीं है । अब उसको रेस्टोर करने के लिए दो ही तरीके हैं । एक तो वह है, जो सरदार अजित सिंह और शर्मा जी ने अपनी अमेंडमेंट में बताया है, जो कि इस तरह है —

"Provided no property in the lawful occupation of the displaced person acquired by him shall be so restored."

दूसरा वह है, जो कि मेरे उन भाई ने पेश किया है, जो कि अभी बोल रहे थे, कि मैं शरणार्थी को, जिसको मैंने ग़लती से एलाट किया, निकाल दूं और उस मुसलमान को, जो कि हिन्दुस्तान का नागरिक है, जो कि निकासी नहीं है, रेस्टोर कर दूं । मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है कि मुझे वही करना चाहिए । गवर्नमेंट का अखलाकी फ़र्ज़ है कि उसे वही

करना चाहिए और कानून भी वही कहता है, लेकिन इस तरह बाज़-औकात तकलीफ़ात पैदा होती हैं। जैसा कि अभी आपने खुद कहा, एक आदमी ज़मीन पर पांच सात बरस से बस चुका है। उसने वहां कुछ इम्प्रूवमेंट्स कीं। मकान लिया गुड फ़ेथ में। अगर मैं उसको हटाता हूं, तो वह उजड़ता है। अगर नहीं हटाता हूं, तो दिल में यह महसूस करता हूं कि बतौर मिनिस्टर जहां तुम एक शरणार्थी के लिए अच्छा काम कर रहे हो, एक नागरिक के लिए तुम जुर्म कर रहे हो। हम यह पावर ले रहे हैं कि अगर हो सके तो उसका मकान उसके हवाले करें, जो कि हिन्दुस्तान का नागरिक है और जो पाकिस्तान नहीं गया और जो निकासी नहीं है और अगर नहीं दे सकते, तो कोई और रास्ता निकालना चाहिए।

एक भाई ने लफ्ज़ काम्पीटेंट आफ़िसर के ऊपर कुछ मज़ाक उड़ाया। ठीक है। कानून तो बनाया गया मेरे पांच सात बरस पेश्तर। सैपरेशन आफ़ इवैकुई इन्ट्रेस्ट हुआ। हाई कोर्ट के एक जज यू० पी० से आये थे। उन्होंने कानून बनाया और उसमें जो आदमी सैपरेशन करता है, या एडजुडिकेशन करता है, उसको काम्पीटेंट आफ़िसर कहते हैं और ये काम्पीटेंट आफ़िसर, बदकिस्मती से समझिये, या खुशकिस्मती से समझिये, स्टेट गवर्नमेंट के आफ़िसर होते हैं और उनके नीचे काम करते हैं। वहां मैनेजिंग आफ़िसर तो मेरा जिम्मेवार है और मैं आम तौर पर डिप्टी चीफ़ सैटलमेंट कमिश्नर और मैनेजिंग आफ़िसर ऐसे शख्सों को रखता हूं, जो कानूनदां होते हैं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज होते हैं। अगर काम्पीटेंट आफ़िसर, एक मकान जिसका सैपरेशन आफ़ इवैकुई इन्ट्रैस्ट होना है, दो हिस्से करता है और दो हिस्से करने के बाद वह यह फ़ैसला करता है कि एक हिस्सा या १/३ हिस्सा या ३/४ हिस्सा दीन मुहम्मद का है उसको वापस मिलना चाहिए तो वह कानूनन दुरुस्त चीज़ है और वह उसको वापस मिलना ही चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं। मैं वही कर रहा हूं जो कि १६ के नीचे है, २७ के नीचे है कि जो काम्पीटेंट आफ़िसर ने फ़ैसला कर दिया है तो हो सके तो वापस कर दूं और अगर नहीं हो सके तो कुछ और रास्ता निकालूं।

**श्री मू० चं० जैन** : क्या ऐसी हालत में आप यह कोशिश नहीं कर सकते हैं कि ऐसे केसिस जो हों, उनके वास्ते एक कालोनी सी बना दें, जैसी कि आपने डिसप्लेस्ड परसंस के लिए बना दी है ?

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : एक भाई शहर में पहाड़गंज में रहता है उसको क्या मैं निकाल दूं ? मुसलमान भाइयों के लिए कालोनीज़ कहां बनाऊंगा ? कालोनीज़ नहीं बन सकती हैं।

जो मेरा घर था वह तो चला गया और यह पुरानी बात हो गई है और इसको हुए बारह बरस बीत चुके हैं। लेकिन जो किसी घर में रहता है उसको उस घर से कितना प्यार हो जाता है इसका अन्दाज़ा आप लगा सकते हैं। जिस घर में मेरी मां मरी, मेरा बाप मरा, बच्चे पैदा हुए .

**एक माननीय सदस्य** : मां मरी और बच्चे पैदा हुए ?

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हमारा तो भाई साहब न मां है और न बाप, हम तो यतीम हैं और जब हिन्दुस्तान में आए तो यतीम हो कर आए।

मैं यह कह रहा था कि एक तरफ़ वे केसिस होते हैं जो कि उन काम्पीटेंट आफ़िसर्स के सामने जाते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के काम्पीटेंट आफ़िसर्स होते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी का मकान था जिसको कि बेच दिया गया है। अब उसके बाद जब उसके इंटिरेस्ट सेपेरेट होते हैं तो पता लगता है कि वह मकान किसी

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

और का है और मान लीजिये तारिक साहब का है —

**श्री अ० मु० तारिक** (जम्मू तथा काश्मीर): मेरा नहीं है। (-میرا نہیں ہے)

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : अगर तुम्हारा नहीं है तो अच्छे रहोगे हमारी तरह से।

जब ऐसा हो जाता है तो मैं क्या करूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि गोकि मैं सरदार अजित सिंह की बहुत कद्र करता हूं, वह मेरे दोस्त हैं, एक सूबे से हम आते हैं और श्री डी० चं० शर्मा जी की मैं तब से कद्र करता हूं जब वह डी० ए० वी० कालेज में काम करते थे और मैं पेशावर में बैठ कर उनका नाम सुनता था, तब से मेरे दिल में उनके लिए बहुत कद्र है, लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि आज मेरे हाथ आप हमेशा के लिए बांध दें कि जिस मुसलमान का कोई मकान है, जो कि इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर उसको मिलना चाहिए, वह तो उसको मिले नहीं और हमारे स्टेट का नाम हो सैक्युलर स्टेट और बसा रहे वहां शरणार्थी हमेशा के लिए। यह मैं कभी नहीं मान सकता हूं।

**श्री द० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मुश्किल यह है कि आप हमारी बात नहीं समझते हैं और हम आपकी बात नहीं समझते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : समझने समझाने का और मौका मिल जाए, अब रहने दीजिये।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जनाबेवाला, मेरा कसूर यह है कि मैं बेकसूर हूं और अगर मेरा कसूर होता तो गरदन भी काट दी जाती तो कोई बात नहीं थी।

**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : समझदार बहुत हैं। कसूरवार नहीं हैं।

**श्री मेहर चन्द खन्ना** : पेशावर में चाहे मेरी कद्र की या नहीं की लेकिन आज जब हम पाकिस्तान से यहां आए हैं, अब तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिये।

जनाबेवाला, एडवाइज़री बोर्ड का भी सवाल है। कल मैं एडवाइज़री बोर्ड का जिक्र कर रहा था। उस वक्त कुछ थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ और मैं कुछ दूसरी तरफ चला गया और वह चीज़ रह गई। इस एक्ट में हकूमत के लिए यह आबलीगेटरी है, गवर्नमेंट के लिए यह आबलीगेटरी है कि एक एडवाइज़री बोर्ड हो और वह गवर्नमेंट को राय दे उन मामलात में जिनका ताल्लुक इवज़ाने से या बसाने से है। यहां इस गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं गो कि मिनिस्ट्री खत्म भी हो जाए लेकिन एक्ट तो जिन्दा रहेगा और जो एडवाइज़री बोर्ड है वह जिन्दा रहता है। मैं अपने दोस्त लाला अचिंत राम जी से कहना चाहता हूं कि मुझे वे साथी जो कि चले गये बहुत दुख है, किसी का कोई साथी जाता है तो इंसान खुश नहीं होता है। लेकिन अब जो दूसरे साथी हैं वे जो जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी मेरे दिल में बहुत कद्र है। एक तो हमारे इस हाउस के मेम्बर हैं ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर जो कि इसके मेम्बर हैं। एक दूसरे हाउस के मेम्बर हैं श्री जसपतराय कपूर जो कि बहुत तनदेही से काम करते हैं। एक और भाई हैं जिनका नाम जगप्रवेश है जिनको कि दिल्ली के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वह भी जनाबेवाला आपको मालूम होगा कि शरणार्थियों के लिए कितना काम करते हैं और किया है। आज मेरे बोर्ड के प्रेसीडेंट वही शख्स हैं जो कि उस वक्त भी थे जब कि ठाकुर दास जी थे और उनका नाम है श्री चन्दू लाल पारिख जो कि हमारी पार्लियामेंट के मेम्बर थे। मैं उन तमाम की कद्र करता हूं वे मेरा बोझा मेरे साथ शेयर करते हैं। बाज़औकात उनको ऐसे भी फैसले करने

पड़ते हैं जो कि आम खयाल से कुछ ज्यादा दिलचस्प और हरदिलअजीज नहीं होते । मिनिस्टर्स और मेम्बर्स में इतना ही फर्क होता है कि मेम्बर जितना चाहे कह दें, मिनिस्टर बेचारा एक दायरे से बाहर नहीं जा सकता है । मैं चाहता हूं कि वे रहें । मेरा यह खयाल कभी नहीं है कि मैं तो बैठा रहूं विराजमान हो कर और इस मिनिस्ट्री को चलाता रहूं और मेरी एडवाइजरी बोर्ड के मैम्बर चले जाएं । यह मेरा कतई खयाल नहीं है और मैं हाउस को एश्योरेंस देना चाहता हूं कि मेरा इरादा यह है कि उनकी लाइफ इस मिनिस्ट्री की लाइफ से को-टर्मिनस हो । लेकिन अगर आज मिनिस्ट्री वैस्टर्न रिजन में खत्म हो जाती है तो सिर्फ इतनी पावर लेना चाहता हूं कि उस वक्त उसकी जो लाइफ है वह खत्म हो जाए । मैं उनकी राय की कद्र करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, जो पहले थे और जो चले गये उनकी भी इज्जत करता हूं जो हैं उनकी भी इज्जत करता हूं । मेरे लिये यह कहना कि एक भाई बहुत अच्छे थे, दूसरे भाई जरा कम अच्छे हैं, मुझ सी हैसियत के आदमी के लिए ठीक नहीं है । मैं इमतियाज करना नहीं चाहता । मुझे सब की कोओप्रेशन चाहिए, मुझे सब का सहयोग चाहिए, मुझे उनसे बहुत से लाभ होते हैं । मैंने यह महसूस किया है कि एडवाइजरी बोर्ड रहे और मैं उसको खत्म करना नहीं चाहता हूं ।

एक और बात है जो मैं कहना चाहता हूं । मेरे भाई जो सामने वकील बैठे हुए हैं उन्होंने वकालत की तरह से बात की जिसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया और शायद अजित सिंह जी भी दिल से उनके साथ सहमत हों लेकिन ऊपर से उन्होंने कोई बात नहीं कही है और वह यह है कि एक्ट में सिर्फ यह था "ए डिप्टी चीफ सैटलमेंट कमिश्नर ।" लेकिन काम देखा तो ४ लाख ८५ हजार क्लेम्स थे ।

१५–२० हजार रिहैबिलिटेशन ग्रांट्स थीं । पांच सात बरस की बात है, आज की बात नहीं है । । हमने तीन या चार डेपुटी चीफ सैटलमेंट कमिश्नर्स मुकर्रर किए और जो भी किए वे डिस्ट्रिक्ट जज या सैशन जज की हैसियत के थे । कोशिश यह की गई कि यह काम जल्दी खत्म हो । अब महकमा न बढ़ता तो काम खत्म न होता । महकमा बढ़ कर काम खत्म किया है । आज भी एक भाई आए थे और कह रहे थे कि रिट्रेंचमेंट करो, हम तुमसे मिलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं । छः महीने या साल की बात है कि एक वकील भाई साहब ने कह दिया कि तुम तो इस मिनिस्ट्री को खत्म करना चाहते हो और हम हाईकोर्ट के पास जाने के लिए तैयार हैं, यह रिट लेने के लिए तैयार हैं कि जो फैसलाजात उन्होंने दिय उनके बारे में हम यह करें कि उन तमाम फैसलों को मंसूख करा दें क्योंकि वे नाजायज थे, कानूनन दुरुस्त नहीं थे और शायद दुरुस्त न होते । मैं जहां अपने आप को खत्म करना चाहता हूं वहां वकीलों के काम को भी खत्म करना चाहता हूं । मेरी बड़ी भारी ख्वाहिश है कि जैसलमेर हाउस के सामने जो छोटे छोटे खुडले से बने हैं और जो मेरे वकील भाई वहां रहते हैं पता नहीं कितने हैं वे भी मेरे साथ चले जाएं । यह न हो कि जो मेरे फैसले आज तक पांच छः बरस के हुए हैं उन सब को किसी कानून के दायरे में मुझे लाकर उन सबको मंसूख करा दें और फिर लाला अचित राम जी कहें कि हां ठीक है । तुम तो कानून इसलिए बना रहे हो कि, जैसा शर्मा जी ने कहा, अपनी जिन्दगी कायम रखना चाहते हो ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अभी आप ने शायद खुरला कहा जो काबिले एतराज है ।

**Shri Mehr Chand Khanna:** They are broken.

**उपाध्यक्ष महोदय** : खुरला से क्या मुराद है ?

**Shri P. S. Daulta:** He meant wooden stalls.

**Shri Mehr Chand Khanna:** That is a Punjabi word—*Khudla.* I said *Khudla* and not *Khurla.*

**Mr. Deputy-Speaker:** Order, order. I understood it as Khurla.

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मेरा मतलब यह है कि वह छोटे छोटे [illegible]मेंट्स हैं । वहां एक दीवार होती थी । उसे तोड़ कर हमारें भाइयों ने कुछ खुड़ले से बना लिये हैं, उस में कुछ भाई चटाई लगाये हुए, कुछ ने शामियाने लगा लिये हैं, वहां काम करते हैं । तो मैं चाहता था कि जो दुरुस्त तरीके पर कायम हैं वह कायम रहें । जो गलत तरीके से हैं, उन के लिये हर रोज हाई कोर्ट्स में रिट होते हैं । कोई ३ या ४ हजार रिट्स हमारी मिनिस्ट्री के सामने मौजूद हैं । आसान तरीका है अगर हम किसी मार्केट में फ्लैश भेजना चाहते हैं । रिट हो गया, दो, तीन बरस रिट चलेगा, दो, चार, छः या दस महीने के करीब यहां से बात चीत करेंगे, कोई न कोई रास्ता निकल आयेगा । तो मैं ने अपने आपको खत्म करने के लिये यह अमेंडमेंट रखा है । डिप्टी चीफ सेट्लमेंट आफिसर रहेगा, जो पहले होता था । मैं चाहता हूं कि उन का काम कायम रहे। अगर हमारी यह ख्वाहिश होती कि हम इस गद्दी पर थोड़ी देर और विराजमान रहें तो शायद हमें छूट हो जाती । कोई हाई कोर्ट में रिट हो जाय, वह फैसला शायद मंसूख हो जाय, जो कि चार पांच केसेज में हुआ है, लेकिन है । लाख, डेढ़ लाख, या दो, तीन लाख नये केसेज शुरू हो जाते । इस के लिये मैं कुसूरवार नहीं । यह मैं अच्छी चीज कर रहा हूं इस लिये कि जो फैसला हो गया, जिस भाई का कम्पेन्सेशन मिल चुका जिस भाई को जमीन मिल चुकी, वह मामला खत्म होना चाहिये ।

अब रही बात लिमिटेशन की । टाइम बार्ड । ठाकुर दास जी ने दो तीन साल हुए, सन् १९५६ में बहुत तकरीरें की थीं, और मुझ से यह कहा था कि भाई, तुम जो दुनियां में एक दुरुस्त कानून है उस को तो लाते नहीं और यह जो तुम्हारा अपना कानून है, उस के जरिये से बहुत ही ऐसी चीजें करते हो जो गलत हैं । खैर आपने पेश किया, ऐवान में, उस कानून को । अब जहां तक हमारा इरादा था, गवर्नमेंट का इरादा था, वह तो यह है कि जब एक आदमी से मुझे रुपया वसूल करना है, तो मुझे उससे वसूल करने का हक होना चाहिये । कुछ मेरे भाई यह समझे नहीं । कल किसी ने कह दिया कि मैं तो गरीब शरणार्थी के सिर पर कोई तलवार चला रहा हूं या जुल्म कर रहा हूं और उन से नाजायज तौर पर पैसा लेने की कोशिश करूंगा । शायद मैं ने खुद नहीं समझा । लेकिन जो मैं समझा हूं वह आप के सामने पेश करना चाहता हूं ।

जो असल चीज है सेक्शन १९ उस में यह है :

"Where a managing officer or a managing corporation is satisfied that any person, whether by way of allotment or lease, is, or has at any time been, in possession of any evacuee property...."

पहली चीज तो यह है कि यह रेस्ट्रिक्ट कर दी गई और जहां तक नाजायज कब्जे का ताल्लुक है, किसी जायदाद को नाजायज तौर पर नुकसान पहुंचाने का ताल्लुक है, उस का सिर्फ निकासी जायदाद से ताल्लुक है, जिस जायदाद में १०० फी सदी शरणार्थी बसते हैं, चाहे दिल्ली में, चाहे बम्बई, चाहे राजस्थान में, उससे कोई ताल्लुक नहीं । इशारतन दो एक भाइयों ने जिक्र किया, वह समझते नहीं कि उस का असर क्या पड़ेगा । उस का असर यह पड़ेगा कि जो भी आप की निकासी जायदाद है वह आम

तौर पर तो शाणार्थी के पास है नहीं। बहुत कम है। जितनी भी हो, चाहे तीस पर सेन्ट हो, चाहे ४० पर सेन्ट या ५० पर सेन्ट हो। मुझे नहीं मालूम है, याद कर के फिगर्स दे सकता हूं। मगर बहुत से भाई ऐसे हैं जो उस जायदाद में हमारे आने से पहले काबिज थे। वह दीन मुहम्मद या नूरुद्दीन के किरायेदार हुआ करते थे, जो पाकिस्तान चले गये। वह जायदाद उनके पास है।

अभी आप पब्लिक ड्यूज की डेफिनिशन सुन रहे थे। अगर एक शरणार्थी मेरे किसी मकान में बैठा है, चाहे वह क्लेमेंट हो या नानक्लेमेंट हो, वह उस मकान का मालिक बनना चाहता है, और आप जानते हैं कि आम तौर से शरणार्थी किसी मकान को छोड़ नहीं रहे हैं, अपने क्लेम से भी ले लेते हैं, दूसरे के क्लेम से भी लेते हैं, कोई और तरीका भी निकाल लेते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं, तो जहां तक उन का ताल्लुक है, वह तो खुद ब खुद पब्लिक ड्यू हो गया और वसूल हो जायेगा। जैन साहब ने इस की तरफ इशारा किया और रणवीर सिंह साहब दूसरी तरफ चलते चलते इस की तरफ इशारा कर गये। वह तो वसूल हो जायेगा। अब जो मेरी पोजीशन है वह यह है कि अगर एक आदमी के पास मेरी जगह मौजूद है, जो उस ने नाजायज तौर पर कब्जे में लिया हुआ है, उस पर उस ने डैमेजेज भी किये हैं। कुछ मेरी जमीन उस के पास है। जैन साहब राय सिख का जिक्र कर रहे थे, मैं उस के बारे में आप की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि कई बरस हुए मैं इकबाल सिंह साहब के साथ फीरोजपुर गया था। बावजूद इसके कि राय सिखों की जमीन पाकिस्तान में नहीं थी, मैं ने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा है कि इन बहादुर शख्सों को, अगर वह जमीन लेना चाहते हैं, मालिक बना दीजिये, और उसी रेट पर मालिक बनाइये जो कि दूसरों के लिये रख रहे हैं। अगर कुछ किस्तें देनी हैं तो मैं देने के लिये तैयार हूं। मेरी जिन्दगी कटी बार्डर पर, चौ० रणबीर सिंह रहे रोहतक में, मैं रहा फ्रंटियर में। जो आदमी फ्रंटियर में रहा करते थे उन को मैं जानता हूं या अजित सिंह साहब। बावजूद इसके कि वह जनाब की कांस्टिटुएन्सी में हैं, मुझे जाती तौर पर हमेशा उनके साथ हमदर्दी होती है जो फ्रंटियर में रहते हैं। तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूं। मूलचन्द साहब ने आपसे जिक्र किया, मैं उस रिपोर्ट में नहीं जाना चाहता, शायद कभी आये तो उस का जिक्र हो। अभी तो मेरे जेरे गौर है और कैबिनेट के पास जाने वाली है। जब कैबिनेट का फैसला हो जायेगा तो जिक्र करूंगा। लेकिन आप ने अखबारों में पढ़ा है कि बहुत से अलाटमेंट्स हुए जो नाजायज तौर पर हुए। आप हर रोज पढ़ते हैं अखबार में कि ३० हजार एकड़, ४० हजार एकड़, ५० हजार एकड़ पंजाब में नाजायज तौर पर पकड़ी गई। मुकदमात चल रहे हैं। तो अगर एक आदमी ईमानदारी को छोड़ कर जमीन पर नाजायज तौर पर कब्जा करता है, जायदाद जमीन लेता है, और उस से हम रुपया वसूल करने की कोशिश करते हैं तो क्या हम कोई बुराई करते हैं? यह मैं कोई नई चीज तो नहीं कर रहा हूं। उम्मीद है कि भाई दौलता या भाई अजित सिंह, जिन का पंजाब से बहुत ताल्लुक है, वह यह जानते होंगे कि यह चीज बड़े अर्से से चल रही है। यह जो पीनल रेंट है, यह कोई नई चीज नहीं है। वह तो २, ४, ५ या ६ साल से पंजाब गवर्नमेंट वसूल कर रही है। अब कोई भाई हाई कोर्ट में पहुंचेगा, वहां से हमें पता लगेगा कि जब तक उस का कोई लीगल सैंक्शन नहीं होगा, हम आगे से यह काम नहीं कर सकेंगे। तो हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। आज पंजाब गवर्नमेंट कुछ पीनल रेंट उन भाइयों से ले रही है जो कि नाजायज तौर पर रिफ्यूजी जायदाद पर कब्जा कर के बैठे हैं, या अगर रिफ्यूजी भी हैं तो उन्होंने कुछ हक से ज्यादा लिया

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

हुआ है । हम यह कोशिश कर रहे हैं कि उन से रेंट वसूल करें। वसूल करने के बाद अगर फायदा होगा तो शरणार्थी को होगा, बाहर तो जाने वाला नहीं है । लेकिन मैं यह नहीं समझता कि जहां एक आदमी रेगूलर ऐलाटी है, उस से तो मैनेजिंग आफिसर को हक है किराया लेने का, मैनेजिंग आफिसर को उस पर तो हक है कि उस का किराया असेस करे, उस से वसूल करे, उस का फैसला करे, लेकिन जो आदमी नाजायज तौर पर कब्जा कर के बैठा हुआ है, उस के लिये हम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज को आना चाहिये । मेरे नहीं समझ आयी जनाब । कल मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो मेरे मैनेजिंग आफिसर्स हैं या जो डिप्टी चीफ सैटिलमेंट कमिश्नर्स हैं, उनमें और डिस्ट्रिक्ट जज में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वह बेचारा मेरे पास आकर सुपरएन्युएट हो गया या सुपरएन्युएट होने पर किसी स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर उसकी दयानतदारी को सामने रखते हुए उसको हमने रखा । और वह इस किस्म के केसेज करते हैं । लेकिन में यह चीज नहीं मान सकता कि जो आदमी हमारे जायज तौर पर एलाटी हैं उनके केसेज तो मैनेजिंग आफिसर्स जो कि हमारे आफिसर्स हैं वह करें, लेकिन जिसका नाजायज कब्जा है, जिसने एक्सेस एलाटमेंट लिया हुआ है, उसके लिए बाहर की एजेंसी होनी चाहिये ।

अब आखिर में मैं एक चीज कहना चाहता हूं । वह यह है कि यह कहा जाता है कि जो तुम्हारी लिमिटेशन है उसे तुम बार बार लाते हो और जो एक पुरानी चीज है उसको तुम लीगलाइज कराना चाहते हो। मैं अपील करता हूं कि जहां तक टाइम बार का ताल्लुक है, जो मेरा इंटरप्रिटेशन था १९५६ का वह रहना चाहिए और अगर एक आदमी ने मेरी जायदाद पर नाजायज कब्जा किया है और फायदा उठा रहा है, तो मैं उससे रुपया क्यों वसूल न करूं । लेकिन पंडित ठाकुर दास जी और कुछ मेम्बर साहिबान इस पर वाजिद थे और उन्होंने मुझ से इस बारे में कहा भी । इस लिये मैं इजाजत चाहता हूं कि

In section 21 of the Principal Act, in sub-section (3), after the words 'is barred', the words, brackets and figures 'or was, at the commencement of . . . .'

को डिलीट कर दिया जाए । इस को मैं डिलीट करना चाहता हूं ।

जहां तक रेस्टोरेशन का ताल्लुक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन्साफ करूं मुसलमान के साथ जिसके साथ बेइन्साफी हुई है और उस शरणार्थी के साथ जो कि चार पांच बरस से उस जमीन पर काबिज है । मैं कोशिश करूंगा कि इन्साफ करूं और दोनों में से किसी को तकलीफ न हो ।

जहां तक एडवाइजरी बोर्ड का ताल्लुक है मैं ने तसल्ली दिलायी है कि जब तक वेस्टर्न साइड में मैं जिन्दा हूं तब तक वह भी जिन्दा रहेंगे और मेरे अन्तिम संस्कार के साथ उनका भी खुद ब खुद खातमा हो जाएगा क्योंकि जिस काम के लिये वह हैं वह काम ही नहीं रहेगा ।

जनाब वाला, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता । एक दो माइनर अमेंडमेंट हैं सरदार अजित सिंह के और ठाकुर दास जी के । यह बहुत माइनर किस्म के हैं और जब वक्त आएगा तो मुमकिन है मैं उनको मान भी लूं । बाकी में ने आपके सामने अपनी पोजीशन साफ रख दी है, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं वह इसलिये नहीं कि मैं मिनिस्ट्री की लाइफ को प्रोलांग करूं । मैं इसलिये कर रहा हूं कि यह काम भी खत्म हो जाए, और जिसने लेना है वह भी ले ले और जिसने देना है वह

भी दे दे। मेरी यह बड़ी ख्वाहिश है कि जिस तरह से हाउस ने मेरा पांच छः बरस साथ दिया है थोड़े वक्त और मेरा साथ दे अब दो चार छः महीने से ज्यादा की बात नहीं है। अब तो मेरे बहुत से लोग मेरी लम्बी जिन्दगी के लिये दुआ करते हैं। यही नहीं, बंगाल में एक तरफ तो यह कहा जाता है कि खन्ना को निकाल दो और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि खन्ना की मिनिस्ट्री को डिजाल्व नहीं होना चाहिए। यहां भी रिजोल्यूशन आते हैं। कोई हाईकोर्ट का जज हो, कोई न कोई हो जो कि इस काम को देखे, इस मिनिस्ट्री का काम खत्म नहीं होना चाहिए। मैं आपका मशकूर हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह अब शरणार्थियों के अपने जाती इंटरेस्ट में है कि वह जरा उस दायरे से निकलें। अपने पैरों पर तो वह खड़े हो चुके हैं। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनको बाज औकात गिला भी होता है और तकलीफ भी होती है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अगर हमें यह मालूम होता कि पटेल नगर और राजेन्द्र नगर ऐसे होंगे तो हम शहरी इलाका छोड़कर शरणार्थियों को दे देते और वहां जाने की कोशिश करते। तो यह काम खत्म हो रहा है। मैं अपने भाइयों को तसल्ली दिलाना चाहता हूं, खास कर उनको जिन की मैं उस वक्त से कद्र करता आया हूं जब कि मैं पेशावर में स्कूल और कालिज में पढ़ता था, कि न मेरा आइडिया डिसरप्टिव है और न मेरा आइडिया डेस्ट्रक्टिव है। मैं तो आपका कोआपरेशन चाहता हूं, मैं तो आपकी गाइडेंस चाहता हूं। जहां मुझे एक भाई के यह कहने से दिली खुशी होती है कि मेरी डिवाइन मिनिस्ट्री है वहां दूसरे के इससे बखिलाफ कहने से तकलीफ भी होती है। लेकिन मुझे इसका गिला नहीं क्योंकि मैं भी उसी सफ में खड़ा हूं जिस में कि मुझ से पहले वाले अलिफ, बे, जीम खड़े थे। शायद कम्पेरीजन का थोड़ा सा फर्क हो। लेकिन मैं आपका मशकूर हूं और अर्ज करना चाहता हूं कि चीज मैं ने आपके सामने पेश की है उसको वापस लूंगा नहीं और बाकी इस बिल को पास होने दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि इन्साफ करूं और कोशिश करूंगा कि किसी को नाजायज तौर पर तकलीफ न होने दूं।

एक साल हुआ आपने एक बिल पास किया था जिस में मुझे अख्तियार दिया था कि मैं किसी से बतौर एरियर्स आफ लेंड रेवेन्यू ही रुपया न वसूल कर सकूं बल्कि उसको कैद भी करा सकूं। इसके बारे में मैं ने सारे सैटिलमेंट कमिश्नर्स से मालूम तो नहीं किया है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है आज तक इस सिलसिले में एक आदमी भी कैद नहीं कराया गया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब इतना काम गवर्नमेंट की मेहरबानी से हुआ है और करोड़ों रुपए की जायदाद शरणार्थियों को मिली और १५० करोड़ रुपया बतौर कम्पेन्सेशन के मिला तो किसी छोटी सी चीज के लिये ऐसा काम करना पड़े जो ग्रेसलैस हो। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी आदमी को हक नहीं है कि वह नाजायज तौर पर नेशनल वेल्यूज पर पैरासाइट बन कर बैठे या उनको एक्सपंज करे।

**Shri P. S. Daulta:** On a point of explanation. The hon. Minister was pleased to state certain things in respect of me and I want to explain. He impliedly said that he was glad to know that a man who lives here has got a claim in Pakistan. I want to add to his happiness so that he will be still more glad. I am one of those refugees who brought 30,000 people who were likely to be burnt in Gurdwara Ajitsar in Montgomery, when they were going to be burnt. I am not one of those refugees who flew down here by the aeroplane.

**Mr. Deputy-Speaker:** Order, order.

**Shri P. S. Daulta:** Sir, I want to add to the happiness of the hon. Minister I am not, of course, a refugee politician who came to Parliament, defeating the ruling party. Only I am an M.P. who came in with the help of the people and not through the grace of two or three men at the top like the hon. Minister.

**Mr. Deputy-Speaker:** It does not require so many explanations.

**Shri Mehr Chand Khanna:** I am grateful to the hon. Member for his kind remarks. The results in Kerala have fully justified the Government's position and stability.

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That the Bill further to amend the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, be taken into consideration".

*The motion was adopted.*

**Mr. Deputy-Speaker:** We now take up clause 2.

**Clause 2**—(*Amendment of section* 2)

**The Deputy Minister of Rehabilitation (Shri P. S. Naskar):** I beg to move:

Page 1,—

(a) *for* lines 5 to 8, *substitute*—

'2. In section 2 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) in clause (d), after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely:—'; and

(b) *after* line 17, *add*—

'(ii) in clause (e), for the words, brackets and figures "East Punjab Refugees (Registration of Land Claims) Act, 1948" the words, brackets and figures "East Punjab refugees (Registration of Land Claims) Act, 1948" shall be, and shall be deemed always to have been, substituted.' (3)

It is a minor amendment.

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

**Page 1,—**

(a) *for* lines 5 to 8, *substitute*—

'2. In section 2 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) in clause (d), after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely:—'; and

(b) *after* line 17, *add*—

'(ii) in clause (e), for the words, brackets and figures "East Punjab Refugees (Registration of Claims) Act, 1948" the words, brackets and figures "East Punjab Refugees (Registration of Land Claims) Act, 1948" shall be, and shall be deemed always to have been, substited.' (3)

*The motion was adopted.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is.

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 2, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 3 was added to the Bill.*

*Clause 4 (Amendment of section 19)*

**Shri Ajit Singh Sarhadi:** I beg to move:

Page 2, lines 17 to 19,—

*for* "and that person shall be liable to pay the rent so assessed for the period for which the property remains or has remained in his possession" *substitute* "for the period for which the property remains or has remained in his possession; and in case, it is disputed by that person, it shall be referred to the District Judge nominated in this behalf by the State Government whose decision shall be final". (5)

Page 2,—

*for* lines 28 to 30, *substitute*—

", fix time for the payment of such damages and instalments in

which it is to be paid provided that in case the occupant disputes the assesment, it shall be referred to the District Judge, nominated in this behalf by the State Government, whose decision shall be final." (6)

I will first deal with my first amendment No. 5. I am grateful to the hon. Minister for the clarification which he had been pleased to give to this clause in his reply at the consideration stage. There were two stages in the management of the evacuee property. The first stage was, when this property was evacuee property till 1955, when it became acquired property. First it was being managed by the district rent officers. After it became acquired property, the same person was managing it as managing officer. The hon. Minister was pleased to say that all the while the managing officer was managing it properly and assessing the rent, and there is no reason now why he should not be authorised to assess the rents of those properties which were being held by the displaced persons in the exercise of their rights and why that amount should not be realised.

My respectful submission is, previous to 1955, the property was an evacuee property. The Custodian was the manager under section 10 of the Administration of the Evacuee Property Act and as such he was managing it on behalf of the evacuees and realising the rent. That property was not the Government's property. It was subject to all the rent restrictions and rent control of the appropriate State. After 1955, by the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, the property became acquired property and belonged to Government. But the district rent officers who became managing officers were continually realising the rents.

I concede that there are certain properties which certain displaced persons hold in excess of their rights. Possibly the Rehabilitation Ministry has not been able to realise the mesne profits, because we cannot call them rents. My submission is, by this clause you are authorising them to assess the rents at their discretion. Basically this is wrong. When I was speaking at the consideration stage, I said that this was not liquidating the Ministry or eliminating the distinction between the displaced persons and others, but it was rather perpetuating the officers of the Ministry and also the distinction. That point has not been met by the hon. Minister. The moment you authorise the managing officer to assess the rent of the excess area held by the displaced person, you override the provisions of the Rent Control Act entirely, because it is Government property. Possibly you might say that in the rule-making powers, you may lay down that it will be subject to rent control. All the same, you are giving him a power which is perpetuating the distinction, when you have got other Acts under which you can move. Your managing officer can realise the mean profits under ordinary law. If you do not want to use the ordinary law and his occupation is unauthorised, you have the Public Premises Unauthorised Eviction Act under which you can move. So, basically this clause is unnecessary and unjustified.

My alternative amendment postulates that if the managing officer assesses it and the occupant or the holder of the property accepts it, there the matter ends. But the moment there is a dispute, the matter should go to the District Judge. The reason is, the managing officer is the manager of the property; he is the plaintiff, and he has got interest in the money. If you allow him the right of assessment, you are making him a judge, contrary to the provisions of jurisprudence. Managing officers are not judicial officers; they are subordinates. They cannot have a judicial approach to the question. So, my amendment says, when there is a dispute, it should be referred to the District Judge whose decision shall be final.

There is also another point. It was stated by my hon. friend, Shri M. C. Jain, that when you give power to the civil authority, you want to delay

[Shri Ajit Singh Sarhadi]

matters. Presently the Act give a displaced person the right of appeal from the managing officer to the Regional Settelement Commissioner and from him to the Chief Settlement Commissioner. I have placed the decision of the District Judge as final, because he is conversant with the law and his approach will be according to the canons of law. So, I submit that this should be left to the District Judge. This will not only eliminate delay, but also give a judicial approach to the case.

It might be said, as the hon. Minister was pleased to remark, that for all these years, it has been dealt with by the hierarchy of the Rehabilitation Ministry and there is a provision that civil courts should be debarred. Here again, you have got section 9 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act whereby, whenever there is a dispute about a certain verified claim between the heirs of the claimant, the matter can be referred to the District Judge, whose decision shall be final. We have got an example in this very Act. So, I do not understand why the same thing should not be done here.

My second amendment pertains to clause (3). The clause as it is, reads as follows:

> "Where any person is, or has at any time been, in unauthorised possession of any evacuee property vested in the Custodian, the Custodian may, having regard to such principles of assessment of damages as may be prescribed, assess the damages on account of the use and occupation of such property and may, by order require that person to pay the damages within such time and in such instalments as may be specified in the order."

No such order can be given without the person concerned being given a reasonable opportunity of being heard. Whereas the previous clause deals with rents, this deals with the damages or mean profits for the use of the property. Here I have the same objection with greater force. Here you are authorising the managing officer, who is not a very senior officer to discharge this work. I do not dispute that Deputy Settlement Commissioners and Chief Commissioners are as good as district judges. But, so far as the managing officers are concerned, most of them, I believe—I am subject to correction—are not conversant with the law or judicial procedure. You are authorising them here with the right to assess the damages for the mean profits for the use of the property for years together. If the district rent officer before 1954-55 and the managing officer subsequent to the date of acquisition have been slack enough not to realise money, should the displaced persons be allowed to be burdened now with all the mean profits or the damages previous to it? Is it fair? Of course, the provision for instalments is there. But the discretion is already there. Then, as the hon. Minister knows very well, there are limitations on the powers of the revisional authorities. They cannot go into matters of facts; they can only go into matters of law. On matters of facts, they will accept the findings of the trial court or trial officer. Therefore, I would request the Minister to consider this position from a judicial angle. Is it unfair, is it unjust to allow the use of the power of the judicial authority like a district judge, a senior judicial authority, for the adjudication of the matter when the assessment is to be done by the managing officer both for damages and rents? He is already given a hearing. The only thing is that he should be allowed to go to the district judge for his final adjudication to see that it is done in accordance with law, or in accordance with the rules that have been prescribed by the prescribed authority, that is, the Central Government. It

is only giving the seal of approval by the judicial authority to a certain thing which has been done by an individual in the hierarchy. So, I would request the hon. Minister to reconsider his decision and not to oppose my amendments, which are in accordance with the basic principle of justice and its administration.

**Pandit Thakur Das Bhargava:** My amendments, which I have not moved, are similar to those that have been moved by Shri Ajit Singh Sarhadi. As a matter of fact, this is a question of principle. The only argument that has been advanced by the hon. Minister is that so far as other properties are concerned, the Ministry has been doing the work up till now. That is the only argument that I have heard in reply, though we have advanced many arguments, with many of which the Minister himself agreed. The argument that the Ministry will be perpetuated if this is done does not lead us anywhere. In any case,there would be some cases left undecided and some Ministry have to look after them. Is it the contention of any person in this House that once the Ministry is wound up there will be no civil cases left? All such cases will be inherited by another Ministry. Even now some of the responsibilities of this Ministry have been transferred to other Ministries. After all, Shri Khanna is doing very good work and we congratulate him for his work. At the time of his appointment, long ago, I remember he said that this Ministry should end as soon as possible, and he is making efforts in that direction. The best way in which he can do it is by bringing the local people and the displaced persons on the same level. This is the only way in which he can do it, and he is anxious to do it.

As a matter of fact, when these laws were enacted, we submitted that the powers of the civil courts should not be curtailed, because the civil courts are the best judges and arbiters of the civil rights of the citizens. But, at the same time, we were anxious that these matters should not be prolonged and, so far as possible, the rights of the displaced persons should be decided in a way which is expeditious, which is cheap and which is done by people who have sympathy with them. As a matter of fact, the rights of the civil courts were then curtailed. So, I am astonished to find that the same arguments have been advanced now. In this very Act we have given the rights of civil action to those Muslims, or those persons whose property were declared as evacuee property. They have a right to go to the civil court and even powers are given to certain officers of the Ministry. They were given a special right to take the case to the High Court, where the case is decided. So far as the local people are concerned, they were not given this right. We curtailed the right of the local people in the interest of the refugees, and this has been done rightly. When the hon. Minister is himself anxious to see that both are put on the same pedestal, it is surprising to see people suggesting that the distinction should persist.

The arguments, which he has given, support my case all the more. He says that all these officers are retired district judges, men who have judicial experience, which means that he practically admits that it is the judicial officers who ought to administer these cases and determine the civil rights of the people. If that is so, are these citizens who are now working in the courts of law less honest people who will not do justice as those who have retired will do? Even in the Rent Control Act for Delhi we had provided that he should be a person with judicial experience, and we appointed a person with judicial experience so that the general law of the land is observed. Therefore, the argument advanced by my learned friend does not appeal to me. Of course, I congratulate him for his lucid and good speech. At the same

[Pandit Thakur Das Bhargava]

time, I have to say that he did not meet any of these arguments. I would respectfully submit to him that in the Criminal Procedure Code there is a saving section for those officers who belong to certain departments; for instance, Excise Department, who cannot hear cases initiated by them. See illustration to section 556 of Criminal Procedure Code.

**16 hrs.**

Similarly, those persons, who have been managing these properties, are responsible for good management and they should have realised all these dues. If they are given the power, they will not bring an unprejudiced mind to bear on the subject. They are practically the creditors of these people. If you want justice you must have fresh people who decide the rights of other people. They must decide the case. I have not heard any argument against this.

I feel that in a matter like this the officers of the Ministry should not be the judges. They are offending the principal rule. No person has a right to be a judge in his own cause. I have told you about criminal law and about civil law. Even our Constitution says that there should be separation of the executive from the judiciary. Those very executive officers will decide as to what amount is due, whether the possession is right or wrong, whether the lease is right or wrong. Everything they would decide.

The principles, they say, are to be decided by the Central Government. But the Central Government had given the principles in the Delhi case and in the rent controllers case also. The principle must be the same. As I submitted there is no question of principle. The question is how to determine the case. When actually a person decides the case, the principles are in the air. He moulds the principles according to his view. To ensure justice to the displaced persons I feel that the matter should be referred as a civil case and made over to the civil judges. The cases will be decided even after the Ministry is wound up. If the cases are decided after that there will be no harm. After all, we heard from Shri M. C. Jain and the hon. Minister that there are provisions in section 22. We know there are provisions of appeal and revision and more than revision. There are provisions for the Central Government to do justice. As I myself proposed in the new amendment, these provisions are there. If the appellate court will be under the same Ministry and the original officer will be under the same Ministry, everybody will be belonging to the same Ministry. I want that these cases between the Ministry and the displaced persons would be decided by an independent authority and not by the Ministry itself. This is the real point which has not been answered. I will, therefore, beg of the hon. Minister kindly to consider it from this standpoint. It is not, as a matter of fact, a slur upon the Ministry. On the question of judicial principle and jurisprudence, he ought to agree.

**Shri M. C. Jain** *rose*—

**Mr. Deputy-Speaker:** Is it necessary to discuss it any more?

**श्री मू० चं० जैन** : मैं तो इस अमेंडमेंट को अपोज करने के लिये खड़ा हुआ हूं, अगर आप इजाजत दें ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा, कीजिए ।

**श्री मू० चं० जैन** : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे तो मिनिस्टर साहब ने जो जनरल डिबेट का जवाब दिया है, उस में अमेंडमेंट की तरफ इशारा किया था, लेकिन मैं समझता हूं कि उन का जो जवाब था वह इस प्वाइंट पर नहीं दिया गया कि पेरेन्ट एक्ट में जो रेगुलर ऐल,टीज थे, बुनियादी तौर पर बिना किसी कानून की खिलाफवर्जी करते हुए किसी जायदाद पर काबिज हैं,

उन के रेंट के असेसमेंट की पावर उन अफसरों पर है। जो लोग नाजायज तौर पर काबिज हैं उन के बारे में सवाल है कि क्यों अख्त्यार दिया जाय। हाउस में पेरेन्ट ऐक्ट का जिक्र करते हुए मेनेजिंग आफिसर्स के लिये जिन के लिये हायरार्की का जिक्र किया गया है, कहा गया है कि वह कंटेम्चुअस तरीके से अपने अख्त्यार का इस्तेमाल करेंगे, इस लिये उन को किराया असेस करने का अख्त्यार क्यों दिया जाये। मैं कोई वजह नहीं समझता कि जो लोग नाजायज तौर पर जायदादों पर काबिज हैं, जिन के लिये डैमेजेज तश्खीस करने का सवाल है, उन की बाबत सिविल कोर्ट को अख्त्यार दिया जाये।

इस के अलावा एक और बड़ी वजह है जो कि मैं अपने काबिल दोस्त सरहदी साहब की सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। मैनेजिंग अफसर एक छोटा आफिसर है। वह तहसीलदार की रेंक का होता है। अगर कोई ५० रु० या १०० रु० का मामला है उस के लिये आप डिस्ट्रिक्ट जज को अख्त्यार देते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट जज को बर्डन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज के पास टाइम ही कहां है कि वह इस तरह के छोटे मामलों का फैसला करे? मैनेजिंग आफिसर एक छोटा आफिसर है वह उन को डील कर सकता है। इस तरह से अपील में मुश्किल से पांच या छः केसेज जायेंगे, और उन को जो मैनेजिंग आफिसर है वह सुनेगा। अगर आप मैनेजिंग आफिसर को अख्त्यार न दे कर डिस्ट्रिक्ट जज के सुपुर्द करेंगे तो शायद आप मुझ से इत्तफाक करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर इतना बर्डन हो जायेगा कि वह उन को डील नहीं कर सकेगा।

रहा सवाल कि ए० प्रिंसिपल की बात कही गई कि जो असेस करने वाला है वही जज हो, यह कहां का इन्साफ है। यही बात इनकम टैक्स के बारे में भी कही जा सकती है, सेल्स टैक्स के बारे में भी कही जा सकती है कि उन्हीं लोगों का असेसमेंट करना है और उन्हीं को यह अख्त्यार दिये जा रहे हैं। यह कोई आर्गूमेंट नहीं है। मैं इस में कोई वजह नहीं समझता। मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं और जो प्राविजन रक्खी गई है, वही रहना चाहिये।

**16·05 hrs.**

**Shri Mehr Chand Khanna:** In my reply to the debate I touched upon these two amendments and made the position of the Government abundantly clear. I am grateful to Shri Jain for having explained my point of view to a great extent.

One thing which I could not follow from the speech of Shri Ajit Singh Sarhadi was that as the complexion of the property has now changed, so instead of the Housing and Rent Officer, as the Managing Officer has come into the picture, the case now should go before the District Judge. If this property had not been acquired under section 12, then according to Shri Ajit Singh Sarhadi, the system which is continuing uptill now could have continued.

**Shri Ajit Singh Sarhadi:** I think I was not clear. What I said was that as long as this was a property which belonged to the evacuee as an individual and was being managed by the District Rent Officer, it was subject to all the rent control legislations in the States concerned and rent could not be increased. Now that it has become Government property and as to the Government property there are certain exemptions in certain States. You are giving the managing officers the authority even to go beyond the purview of the Rent Control Acts.

**Shri Mehr Chand Khanna:** I think I understood him very correctly.

[Shri Mehr Chand Khanna]

His main argument, as I was saying, was the same that if this property had not been acquired under section 12 then whatever the hierarchy before was could have been all right, but not under the present circumstances. If there is a dispute regarding assessment by the managing officer with an unauthorised occupant or the man who has taken excess land, it is only then that the Managing Officer will pass certain orders. His orders are not final. There is a right of appeal. There is a right of revision. Again, under section 33 there is a petition or an application which can be made to the Central Government.

**Shri Ajit Singh Sarhadi:** How many petitions have been accepted under section 33 so far?

**Shri Mehr Chand Khanna:** All these provisions are there. So, I see no justification that where an ordinary man, who abides by law, does not take land in excess, does not forcibly occupy my land there the whole system can continue, but not where a man takes unauthorised occupation and possibly deprives someone from the land that could have been allotted to him. As you know, there is still a great charge against this Ministry that whereas Punjabis and those of Punjabi extraction are concerned, lands were allotted to them as far back as nine or ten years and in nearly 70 to 80 per cent. cases even permanent rights have been given, but in the case of whose who are Sindhis, Bahawalpuris, Rajasthanis and Frontier men we have not been able to allot land—not even allot—lands, in many cases allot them under the quasi-permanent scheme or make it permanent. So, I beg to submit that I do not want any preferential treatment to be accorded to a man who is an unauthorised occupant, who has an excess of the land to which he was not entitled. In that case I feel that if a man, who is a law abiding citizen, can approach the Settlement Commissioner or the Chief Settlement Commissioner who has the right of appeal and revision, can even approach the Government, no better treatment should be accorded to him. So, I oppose, both those amendments.

**Mr. Deputy-Speaker:** So, I put amendments Nos. 5 and 6 to the vote of the House.

*Amendments No. 5 and 6 were put and negatived.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That Clause 4 stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 4 was added to the Bill.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That Clause 5 stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 5 was added to the Bill.*

*Amendment made*

Page 3, line 6,—

*after* "competent officer" *insert* "or the appellate officer" (4).

[Shri P. S. Naskar]

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That Clause 6, as amended, stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 6, as amended, was added to the Bill.*

**Mr. Deputy-Speaker:** Clause 7. If it is intended to be dropped, I will put it to the vote of the House, and it can be negatived.

The question is:

"That Clause 7 stand part of the Bill".

*The motion was negatived.*

**Clause 8**— (*Amendment of Section 26*)

**Mr. Deputy-Speaker:** Clause 8.

**Shri Mehr Chand Khanna:** That will now become Clause 7.

**Mr. Deputy-Speaker:** That would be arranged afterwards. Now we have to deal with clause 8.

**Pandit Thakur Das Bhargava:** I beg to move:

Page 3, line 41, *add* at the end—

"Provided such requirement is not in derogation of the rights conferred on persons so required by the provisions of the Evidence Act, the Civil Procedure Code and any other law on the subject." (19)

**Mr. Deputy-Speaker:** Is the amendment being accepted by the Minister?

**Shri Mehr Chand Khanna:** I have looked into the matter and according to legal opinion I am told that this safeguard is there in all these Acts and it is redundant here. He has only quoted one or two, but I have been told that there are a large number of Acts where protection is given, and I do not want any extra protection to be accorded in this case in addition to what is available under the law in all such cases.

**Pandit Thakur Das Bhargava:** Do I understand that this extra protection will be available? You do not say so in clause 8. If you do not put that in, the clause as it is will not serve the object which the hon. Minister has in view. You may amend it in some other way, I have no objection.

**Shri Mehr Chand Khanna:** Then, may I read this statement? Perhaps it would be better.

The proposed sub-section (1A) in section 26 sought to be inserted by clause 8 empowers an officer to require a person to submit to him accounts, books or other documents or to furnish information relating to evacuee property. This power can be exercised by an officer only for the purpose of making an inquiry under the Act or for discharging the duties imposed on him by the Act. It would thus be seen that the power conferred on the officers under the proposed sub-section is not an unrestricted power. Moreover, there is nothing in the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act even to suggest that this provision or any other provision of the Act will have the effect of overriding the provisions of other laws. The protection which is given to a person not to disclose any information under the Evidence Act, Civil Procedure Code, Income-tax Act or Bankers' Books Evidence Act or any other law is not taken away. Even without the proviso as suggested by Pandit Thakur Das Bhargava, the effect would remain the same.

**Mr. Deputy-Speaker:** Then, I need not put it?

**Pandit Thakur Das Bhargava:** My difficulty is this. The opinion that the hon. Minister has been pleased to read out, and his own opinion, are in consonance with my opinion, also. There is no difference of opinion. I only wanted that the safeguards which the law gives to every person should be available. The words are: "require any person". If a person is required and he does not obey that officer, he must go to the officer and explain why he is not obeying; or, he will be proceeded against under section 176, 177 of the Indian Penal Code that he is asked to produce something, or give some information, and that he does not give. He will be harassed unnecessarily. If he is of this view, what is the harm in saying this provision shall be subject to the rights which people enjoy under the ordinary law? There is no harm.

**Shri Mehr Chand Khanna:** The reason is this. I might explain a little further the advice that I received from the Ministry of Law. It is this. In almost every enactment [*See* the Collection of Statistics Act, 1953, the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955, the Prize Competitions Act, 1955, the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, the Press and Registration of Books Act,

[Shri Mehr Chand Khanna]

1867] similar powers have been given to inquiring officers. If the proviso of the nature suggested by Pandit Thakur Das Bhargava is incorporated in the Bill, doubts might arise whether the protection sought to be given by the proviso will also be available in those cases. That is the reason.

**Pandit Thakur Das Bhargava:** Now the argument is that as this question might relate to other cases, in this case also it ought not to be allowed to be raised. That is what it comes to; otherwise, there is no difference of opinion.

I submit the words are also very vague, namely, that the officer requires this to be done "for the purpose of enabling him satisfactorily to discharge any of the duties imposed on him by or under this Act." The officer may take it into his head to ask a person to do something which the law does not authorise him to do, and if an order is made and is not obeyed, he may proceed against the person under section 176/177 of the Indian Penal Code and prosecute him. That possibility is there.

In the other cases the thing has not been tested. Reference has been made to the provisions of other Acts, but then I can say there was one Bill here in this House to which I objected even then, and after being passed into Act, it was rendered nugatory by the Supreme Court.

My submission is that if the hon. Minister is anxious that the rights of these people should be safeguarded, there is no harm in saying that these powers will not be utilised by this officer in derogation of the rights which other people enjoy under the law. It is a harmless proposition.

**Mr. Deputy-Speaker:** What is the reaction of the hon. Minister? May I put it to the vote of the House?

**Pandit Thakur Das Bhargava:** As you please. If the hon. Minister thinks he is safeguarding the rights, I will not press it, because there is no difference of opinion.

**Mr. Deputy-Speaker:** It is only the difference in interpretation and the effect that it would have. The Minister thinks that it is not needed.

**Pandit Thakur Das Bhargava:** I leave it to you.

**Shri Mehr Chand Khanna:** Then I oppose it.

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

Page 3, line 41,—

*add* at the end—

"Provided such requirement is not in derogation of the rights conferred on persons so required by the provisions of the Evidence Act, the Civil Procedure Code and any other law on the subject." (19)

*The motion was negatived.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That Clause 8 stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 8 was added to the Bill.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That Clauses 9 to 12 stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clauses 9 to 12 were added to the Bill.*

**Clause 1**

*Amendments made:*

(1) Page 1, line 4,—

*for* "1959" *substitute* "1960" **(2).**

(2) Page 1, line 4,—

*omit* "Second" (20).

[Shri P. S. Naskar]

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clause 1, as amended, was added to the Bill.*

**Enacting Formula**

*Amendment made:*

Page 1, line 1,—

*for* "Tenth Year" *substitute* "Eleventh Year" (1).

[Shri P. S. Naskar]

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That the Title stand part of the Bill"

*The motion was adopted.*

*The Title was added to the Bill.*

**Shri Mehr Chand Khanna:** I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

*The motion was adopted.*

---

**16·20 hrs.**

## ADMINISTRATION OF EVACUEE PROPERTY (AMENDMENT) BILL

**The Minister of Rehabilitation and Minority Affairs (Shri Mehr Chand Khanna):** I beg to move:

"That the Bill further to amend the Administration of Evacuee Property Act, 1950 be taken into consideration."

Sir, the whole matter has been discussed threadbare. All the points that are contained even in this Bill have been discussed by the House this afternoon. So, I do not wish to make any speech while making a Motion for the consideration of this Bill. If any point is made by an hon. Member, which has not been covered already, I shall be glad to reply to that.

**Mr. Deputy-Speaker:** Motion moved:

"That the Bill further to amend the Administration of Evacuee Property Act, 1950 be taken into consideration."

**Pandit Thakur Das Bhargava** (Hissar): Sir, the subject matter of this Bill has been practically discussed as stated by the hon. Minister when we discussed the other Bill and it is not necessary to go at length into matters which pertain to this Bill. But there are one or two points which arise out of the Minister's remark. Clause 5 reads thus:

"In section 27 of the principal Act, the following Explanation shall be inserted at the end, namely:—

"*Explanation.*—The power conferred on the Custodian-General under this section may be exercised by him in relation to any property, notwithstanding that such property has been acquired under section 12 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954."

I am pleased to hear the argument about the restoration of the property to the Muslims of this country and various opinions have been expressed here. But, I think, this House has expressed itself unanimously in this matter that the property of those Muslims which has been taken as evacuee property must be returned to them. There is no difference of opinion. I have not heard any person saying that the property should not be returned to them. Even those persons who expressed their objections never say that, as a matter of fact, they are